



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022



कुंडालिया बांध , जिला - राजगढ़

जल संसाधन विभाग



बान सुजारा बांध, जिल- टीकमगढ़





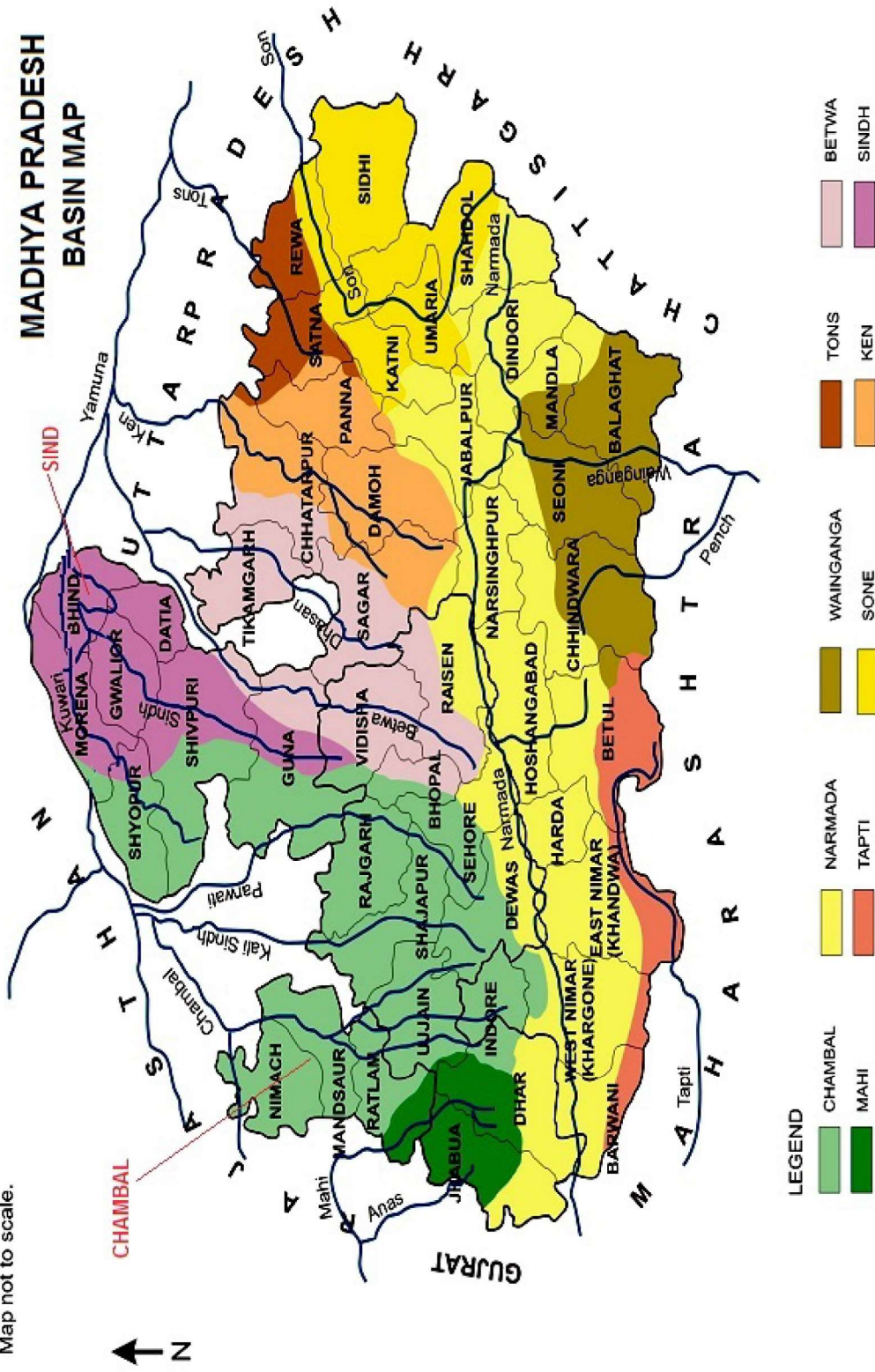
प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022



जल संसाधन विभाग

**MADHYA PRADESH
BASIN MAP**

Map not to scale.



जल संसाधन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-2022

	विभाग का नाम	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग
	मंत्री	माननीय श्री तुलसीराम सिलावट
	राज्यमंत्री	माननीय श्री रामकिशोर कावरे
मंत्रालय		
	अपर मुख्य सचिव	श्री एस.एन.मिश्रा
	उप सचिव	श्रीमती श्वेता पेंवार
	उप सचिव	श्री व्ही.एस. टेकाम
	वित्तीय सलाहकार	श्रीमति विजयलक्ष्मी बारस्कर
	अवर सचिव	श्री संजीव गुप्ता
	अवर सचिव	श्री डी.एन.गांधी
विभागाध्यक्ष		
	प्रमुख अभियन्ता	श्री मदन सिंह डाबर
	आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास	श्री मदन सिंह डाबर

विषय विवरणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
अध्याय-1	विभाग की संरचना	
1.1	प्रदेश की सामान्य जानकारी	01
1.2	विभाग की संरचना	01
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण	03
1.4	विभाग का दायित्व	04
1.5	विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य	05
अध्याय-2	विभागीय बजट	
2.1	बजट पूर्वावलोकन	07
2.2	बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय	07
2.3	विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	08
अध्याय-3	राज्य परियोजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनाएं	
3.1	विभाग के अधीन परियोजनाएं	11
3.1.1	वृहद सिंचाई परियोजनाएं	11
3.1.2	मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	17
3.1.3	लघु सिंचाई योजनाएं	27
3.2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	31
3.2.1	ए.आई.बी.पी. (त्वरित सिंचाई लाभ योजना)	32
3.2.2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (HKKP-GW)	32
3.2.3	आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश	33
3.2.4	कमाण्ड क्षेत्र विकास	33
3.3	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	35
3.4	नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त योजनाएं	38
3.5	डेम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP)	39
3.6	अटल भूजल योजना	41
3.7	केन बेतवा लिंक परियोजना	42
अध्याय-4	सिंचाई एवं राजस्व	
4.1	सिंचाई	45
4.2	राजस्व	48

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
4.3	प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति	50
अध्याय-5	विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएँ	
5.1	प्रमुख अभियंता कार्यालय अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचनाएं	51
5.1.1	सतर्कता प्रकोष्ठ	51
5.1.2	न्यायालयीन प्रकोष्ठ	53
5.1.3	विधानसभा प्रकोष्ठ	53
5.1.4	सूचना का अधिकार	54
5.2	आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचना	54
5.2.1	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन संचालनालय (पी.आई.एम.)	54
5.3	मुख्य अभियंता बोधी के अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचनाएं	56
5.3.1	बांध सुरक्षा संगठन	56
5.3.2	सिंचाई अनुसंधान संचालनालय	57
5.3.3	भू-जल सर्वेक्षण ईकाई	60
5.4	मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी	61
5.4.1	केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई	61
अध्याय-6	जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि	63
अध्याय-7	विभाग की प्रतिबद्धताएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	
7.1	विभाग की प्रतिबद्धता	65
7.2	महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	66

संजय सरोवर, जिला - सिवनी



अध्याय : एक

विभाग की संरचना

1.1 प्रदेश की सामान्य जानकारी:—

मध्यप्रदेश राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी हैं। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 308 लाख हेक्टर है। जलवायु मूलतः उष्ण कटिबंधीय एवं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून पर आश्रित है। इसे 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा सामान्यतः उत्तर पश्चिमी भाग में 60 से.मी. तथा दक्षिण पूर्वी भाग में 100 से 120 से.मी. होती है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुसार 726.27 लाख है, जो देश की जनसंख्या का 6 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या का 69.08 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। कृषकों में से 52 प्रतिशत सीमांत कृषक हैं।

1.1.1 मध्यप्रदेश जल स्रोतों से संपन्न राज्य है। राज्य में नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा एवं माही नदियों का उद्गम स्थल है। राज्य की नदियां केवल वर्षा पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्गम हिम विहीन पर्वतों से है। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा, माही एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर; सोन नदी पूर्व की ओर, चम्बल, बेतवा, केन उत्तर की ओर तथा पेंच एवं वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 75 प्रतिशत निर्भरता पर 81500 मिलियन घनमीटर है जिसमें 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है। शेष 24700 मिलियन घनमीटर जल अंतर्राज्यीय समझौते के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को आवंटित है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34159 मिलियन घनमीटर आंकलित है।

1.1.2 मध्यप्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि है। विभाग द्वारा दिसंबर 2021 तक सकल सैंच्य क्षेत्र 35.83 लाख हेक्टर विकसित किया गया है। वर्ष 2021-22 हेतु खरीफ में 2.78 लाख हेक्टर में सिंचाई की गयी एवं रबी में 27 जनवरी 2022 की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य 31.70 लाख हेक्टर के विरुद्ध 29.99 लाख हेक्टर में सिंचाई की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 89 हजार हेक्टर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसल में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल 33.66 लाख हेक्टर क्षेत्र में (खरीफ, रबी एवं अन्य) सिंचाई की जा चुकी है। विभाग द्वारा निर्मित बांधों से औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त प्रदेश के नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं हेतु जल भी प्रदाय किया जा रहा है।

1.2 विभाग की संरचना

मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। जल संसाधन

विभाग को, प्रदेश में शासकीय जल स्रोतों से जल संसाधन परियोजनाओं का विकास तथा प्रबंधन (नर्मदा घाटी की वृहद् परियोजनाओं को छोड़कर) का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश की सभी सिंचाई परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण विभाग के अधीन है। जल संसाधन विभाग की स्थापना में दो विभागाध्यक्ष (1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन एवं 1 आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय) एवं 14 मुख्य अभियन्ता के पद (सिविल तथा वि/यों) स्वीकृत हैं।

1.2.1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मैदानी मुख्य अभियन्ताओं का जिलेवार अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है:-

- 1. मुख्य अभियन्ता, चम्बल बेतवा कछार, भोपाल:**
जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना एवं अशोकनगर।
- 2. मुख्य अभियन्ता, नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर:**
जिला इंदौर, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलिराजपुर एवं आगर मालवा।
- 3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन**
जिला उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, नीमच एवं मंदसौर
- 4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद:**
जिला बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन एवं सीहोर
- 5. मुख्य अभियन्ता, यमुना कछार, ग्वालियर:**
जिला ग्वालियर, श्योपुर-कलां, भिण्ड, मुरैना एवं शिवपुरी (सिंध परियोजना द्वितीय चरण को छोड़ कर) तथा जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कोटा (राजस्थान)।
- 6. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा:**
जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली एवं सतना।
- 7. मुख्य अभियन्ता, घसान केन कछार, सागर:**
जिला सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, निवाड़ी एवं टीकमगढ़।
- 8. मुख्य अभियन्ता, बैनगंगा कछार, सिवनी:**
जिला सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं कटनी।
- 9. मुख्य अभियन्ता, राजघाट नहर परियोजना, दतिया:**
राजघाट नहर, सिंध परियोजना द्वितीय चरण एवं बानसुजारा परियोजना का कार्य

जिससे दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर एव झाँसी (उत्तर प्रदेश) जिलों में सिंचाई होती है।

1.2.2 मुख्य अभियन्ता (विशेष प्रयोजन)

1. मुख्य अभियन्ता, ब्यूरो ऑफ डिजाइन (बोधी) भोपाल
2. मुख्य अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिकी भोपाल
3. मुख्य अभियन्ता, (प्रोक्योरमेंट) केन्द्रीय निविदा इकाई, भोपाल
4. मुख्य अभियन्ता, अन्तर्राज्यीय जल समझौता इकाई, भोपाल
5. परियोजना संचालक, मोहनपुरा कुण्डालिया परियोजना प्रबंधन इकाई (एम.के.पी.एम.यू.) राजगढ़

1.2.3 जल संसाधन विभाग अंतर्गत वृहद् परियोजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने की दृष्टि से छः परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) का निम्नानुसार गठन हुआ है :-

1. परियोजना संचालक, शामगढ़ सुवासरा परियोजना प्रबंधन इकाई (एस.एस.पी.एम.यू.) इन्दौर
2. परियोजना संचालक, बीना परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) सागर
3. परियोजना संचालक:- ओ.आर.पी.एम.यू. बामोर कला,
4. परियोजना संचालक:- मॉ रतनगढ़ परियोजना प्रबंधन इकाई (एम.आर.पी.एम.यू.डब्ल्यू. आर.डी.)
5. परियोजना संचालक:- बेतवा परियोजना प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)

1.2.4 आयुक्त, कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय, भोपाल

विभाग की परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास एवं बेहतर भूमि व जल प्रबंधन के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह संरचना गठित है।

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण

जल संसाधन विभागान्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास(प्रमुख अभियन्ता स्तर), 14 मुख्य अभियन्ता (13 नागरिक एवं 1 वि.यां.), 33 मंडल कार्यालय, आयाकट से संबंधित 8 प्रकोष्ठ, 124 संभाग एवं 515 उपसंभाग (वि.यां./भूजल इकाई सहित) कार्यरत हैं। इस विभाग की संरचना से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में अमला उपलब्ध कराया जाता है साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य तकनीकी परीक्षक, लोकायुक्त संगठन, जल संसाधन

विभाग मंत्रालय एवं प्रदेश के अन्य विभागों/प्राधिकरणों में शासकीय सेवकों की सेवाएँ शासन की अनुमति उपरांत प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रथम श्रेणी के 345 द्वितीय श्रेणी के 1147 तृतीय श्रेणी के 8864 तथा चतुर्थ श्रेणी के 2000 पद स्वीकृत हैं। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के 125, द्वितीय श्रेणी के 589, तृतीया श्रेणी की 4702 तथा चतुर्थ श्रेणी के 988 शासकीय सेवक एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के 80, द्वितीय श्रेणी के 138, तृतीय श्रेणी के 1068 एवं चतुर्थ श्रेणी के 492 शासकीय सेवक कार्यरत हैं। नियमित स्थापना के कर्मचारियों के साथ-साथ विभाग में कार्यभारित स्थापना के लगभग 4197 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अमले द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण, निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। स्थाई कर्मियों की संख्या भी लगभग 9533 है।

1.4 विभाग का दायित्व:-

मध्यप्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। जिसके अंतर्गत :-

- राज्य के जल संसाधन का आंकलन करना और एकीकृत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की व्यापक योजना बनाना, नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
- जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना।
- सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के विकास के क्रियान्वयन का कार्य करना।
- भू-जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर, सिंचाई के लिए जल संसाधनों के सम्यक अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंकड़ों को एकत्र करना, उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करना तथा नीति निर्धारण।
- परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना।
- वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण तथा निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का अनुरक्षण।
- बांधो, नहरों का समग्र रूपांकन, निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रतिकृति अध्ययन।
- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा जल विज्ञान की सहायता से जलाशयों का बाढ़ के समय परिचालन।

- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की नीति के अनुरूप सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन ।
- पुराने बांधों एवं नहरों का सुदृढीकरण करना ।
- केन्द्र शासन को जल संसाधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर सहयोग एवं जानकारी उपलब्ध कराना ।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से संबंधित परिषदों में प्रदेश का पक्ष रखना ।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से राज्यों के मध्य अनुबंध अनुसार सिंचाई के लिये जल प्राप्त / प्रदाय करना ।
- जल से संबंधित विषयों पर अन्य विभागों को सहयोग देना ।
- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कार्य एवं संवर्ग प्रबन्धन ।
- विभागीय कार्यों की दरों को समय-समय पर पुनरीक्षित करना, तकनीकी निर्देश, नियम इत्यादि तैयार करना ।

1.5 विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

1.5.1 प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रदेश के लिये कार्यरत हैं। प्रमुख अभियंता शासन के लिए अपने कार्यक्षेत्र हेतु सलाहकार हैं तथा मुख्य अभियंताओं के बीच समन्वय का कार्य करते हैं।

1.5.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विभाग की समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सर्वेक्षण, निर्माण, अनुरक्षण कार्य एवं सिंचित क्षेत्र का विकास कराते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र की कार्य योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.5.3 अधीक्षण यंत्री

अधीक्षण यंत्री अपने क्षेत्र के अधीन लेखा, कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के सम्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। अधीक्षण यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये नियंत्रण अधिकारी हैं। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियाकलापों में गतिशीलता प्रदान करना भी उनका दायित्व है।

1.5.4 कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यंत्री विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख हैं। वे अधीक्षण यंत्री के नियंत्रण में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यपालन यंत्री के कार्यों में सिंचाई, परियोजना तैयार करना, निर्माण, रख-रखाव एवं सिंचाई के साथ अन्य समस्त अभियांत्रिकीय कार्य हैं। कार्यों पर नियंत्रण रखकर क्रियान्वयन कराना कार्यपालन यंत्री का दायित्व है। जल संसाधन संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री जिले में जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि का काम करता है।

1.5.5 सहायक यंत्री

कार्यपालन यंत्री के अधीन सहायक यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं मानक गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण तथा सिंचाई कराने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। सहायक यंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से मापदण्ड, ड्राईंग एवं नियमों के अंतर्गत कार्यों का सम्पादन कराने के लिये उत्तरदायी हैं। अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुए सहायक यंत्री को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित करना है एवं सिंचाई राजस्व वसूली के लिये उन्हें अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

1.5.6 उपयंत्री

उपयंत्री कार्य स्थल पर कार्यों के प्रभारी हैं जो कार्यस्थल पर निर्माण कार्यों के निष्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित करते हैं। जल कर वसूली के लिए उन्हें नहर अधिकारी के अधिकार प्राप्त हैं। उपयंत्री जल उपभोक्ता संस्था के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी हैं।



जामुन्या माइक्रो इरीगेशन

अध्याय : दो

विभागीय बजट

2.1 बजट पूर्वावलोकन :

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-2012 में राशि रु. 8715.33 करोड़ निवेश कर निर्मित सैच्य क्षेत्र में 5.07 लाख हेक्टर क्षेत्र की वृद्धि कर कुल 24.53 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र विकसित किया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (2012-2017) में राशि रु. 21827.55 करोड़ निवेश कर 5.41 लाख हेक्टर की वृद्धि कर कुल 29.94 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र विकसित किया गया। वर्तमान में अप्रैल 2017 से दिसंबर 2021 तक कुल राशि रु. 23406.64 करोड़ निवेश कर 5.89 लाख हेक्टेयर क्षमता में वृद्धि की जाकर कुल सैच्य क्षेत्र लगभग 35.83 लाख हेक्टेयर विकसित किया जा चुका है।

2.2 बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय

वर्ष 2014-15 से 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) बजट प्रावधान एवं व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़)

वित्तीय वर्ष	योजना मद		गैर योजना मद		कुल योग	
	प्रावधान	निवेश	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2014-2015	3609.66	3540.88	589.04	587.74	4198.70	4128.62
2015-2016	5295.74	5228.00	581.63	580.85	5877.37	5808.85
2016-2017	6759.54	6745.66	656.51	620.91	7416.15	7366.57
	पूँजीगत अनुभाग		राजस्व		कुल योग	
2017-2018	6128.78	6078.65	673.64	621.37	6802.42	6700.02
2018-2019	5938.14	5919.94	776.04	689.13	6714.18	6609.07
2019-2020	7152.91	6231.95	1224.79	1117.64	8377.70	7406.59
2020-2021	5217.40	5176.10	1181.38	1059.08	6398.78	6235.18
2021-2022 (up to 12/2021)	6336.09	4270.70	1259.45	802.00	7595.54	5072.70

2.3 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं पारदर्शिता लाने के लिए विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से जारी समस्त प्रशासनिक, तकनीकी आदेश व निर्देश एवं विभागीय जानकारीयों, विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

2.3.1 ई-प्रोक्योरमेंट :-

विभाग में ई-निविदा प्रणाली 01.02.2009 से आरम्भ हुई। प्रारम्भ में यह व्यवस्था राशि रु. 1 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए थी, परन्तु वर्तमान में विभाग की समस्त निविदाएँ ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

निविदाओं के निराकरण में लगने वाले समय में कमी, पारदर्शिता एवं ठेकेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग में वर्ष 2011 में केन्द्रीकृत निविदा प्रकोष्ठ का गठन किया था। रु. 20.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण से ऐजेंसी निर्धारण की कार्यवाही इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है।

वर्ष 2021-2022 में (13 दिसम्बर 2021 तक) रूपये 20 लाख से अधिक राशि की ई-निविदा के माध्यम से प्रकोष्ठ द्वारा आमंत्रित निविदाओं एवं कार्यों, उनकी लागत एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा आमंत्रित किये गये कार्यों की संख्या	आमंत्रित की गई नि. विदाओं की कुल राशि (रु. लाख में)	निविदा स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	निविदा स्वीकृत कार्यों की कुल राशि (रु.लाख में)
227	160389.99	155	61837.37

2.3.2 विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाईन करने के लिए 'इन्टरप्राइज इन्फारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम- ई.आई.एम.एस' तैयार किया गया है, जिसके उपयोग से मानिट्रिंग की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रमुख मॉड्यूल जो अभी उपयोग किए जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं:-

- **Project Related Asset:-** विभाग के समस्त वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं की जानकारी (Salient feature) का रखरखाव एवं समय समय पर आवश्यकतानुसार अपडेट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **Scheme Monitoring (वृहद मध्यम एवं लघु):-** इस माड्यूल का उपयोग विभाग के अन्तर्गत सभी निर्माणाधीन वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।

- **Dam Safety:-** प्रदेश के सभी डैम का वर्षा पूर्व, वर्षा पश्चात निरीक्षण की जानकारी के रखरखाव एवं संबंधित Dam Health Status Report
- **Feasibility Status Monitoring:-** इस Module का उपयोग नवीन प्रस्तावित योजनाये, उनकी Feasibility एवं उनकी प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी जानकारी दर्ज करने हेतु उपयोग किया जाता है।
- **एम.एम.एस. बेस्ट रिजरवायर लेवल मानिट्रिंग सिस्टम:-** विभाग के सभी वृहद एवं मध्यम जलाशयों के प्रतिदिन एस.एम.एस. के माध्यम से जलस्तर प्राप्त कर उपलब्ध जल की उपयोगी मात्रा (Available Live Capacity) की जानकारी वर्षाकाल में संकलित की जाती है।
- **‘ई-मेजरमेंट बुक’:-** रुपए 10 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों के आयटम रेट एवं परसेंटेज रेट अनुबंधों में ठेकेदार के बिल तैयार करने में इसका उपयोग किया जा रहा है।
- **‘नॉन एग्रीकल्चर रेवेन्यू मानिट्रिंग’:-** औद्योगिक उपयोग हेतु प्रदाय जल के बिल तैयार करने एवं इस मद की राजस्व प्राप्ति की जानकारी की मानिट्रिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- **‘इरीगेशन मानिट्रिंग मॉड्यूल’ :-** इस मॉड्यूल में जलाशयों में जल के संग्रहण, सिंचाई के लक्ष्य निर्धारण एवं सिंचाई की प्रगति की जानकारी दर्ज कर की जाती है। प्रत्येक फसल में सिंचाई प्रगति की जानकारी पाक्षिक रुप से माह की 5 एवं 20 तारीख तक वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है।
- **निविदा संबंधी आदेश (Tender Related Orders):-** इस खण्ड के अंतर्गत निविदा विज्ञप्ति, निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूचना, निविदा मूल्यांकन संबंधी बैठकों एवं निविदा संबंधी नियमों/आदेशों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है।
- **नवीन स्वीकृतियों (New Sanctions):-** इस खण्ड के अंतर्गत नवीन स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेशों का प्रकाशन एवं विगत समय में जारी आदेशों का संकलन प्रदर्शित किया जाता है।
- विभाग प्रमुख एवं शासन से जारी होने वाले समस्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।
- सामान्य तौर पर उपयोगी विभागीय तकनीकी परिपत्र, दरसूची विनिर्देश एवं अधिनियम भी संबंधित खण्डों के अंतर्गत प्रदर्शित है। इनहें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से एम.पी. मोबाईल एप को विभागीय वेबसाइट से जोड़कर निम्नानुसार नागरिक सेवाएं Mobile Governance के अंतर्गत दी जा रही है:-

- (अ) निविदाओं की सूचना (NIT)
- (ब) स्वीकृत/अस्वीकृत निविदाएं (Tender orders)
- (स) महत्वपूर्ण आदेश/पत्र (What is new)
- (द) तकनीकी परिपत्र (Technical circulars)
- (इ) विभागीय एकीकृत दर सूची (UCSR)

- **Revenue Demand & Payment Collection Module:-** विभाग के अधीन जल संरचनाओं से विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले जल से प्राप्त होने वाले राजस्व के संग्रहण एवं सतत मानिट्रिंग हेतु Map IT द्वारा एक बेव एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन द्वारा Revenue Demand & Payment Collection Module के माध्यम से आनलाईन राजस्व संग्रहण किया जा सकेगा।

2.3.3 ई-ऑफिस :-

दिनांक 15-11-2018 से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल को शासन स्तर से ई-ऑफिस के माध्यम से जोड़ा गया, जिससे शासकीय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नस्त्रियों का संपादन ई-ऑफिस द्वारा किया जा रहा है।

ई-ऑफिस के अंतर्गत नस्त्रियों का संपादन शीघ्रता के साथ पारदर्शिता से किया जा रहा है।



सिंप्रकलर, पारसडोह डेम

अध्याय – तीन

राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनायें सिंचाई परियोजनाएं

3.1 विभाग के अधीन परियोजनाएं

प्रदेश में विभाग के अधीन वर्तमान में 27 वृहद्, 46 मध्यम तथा 288 लघु सिंचाई योजनाएं विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से दिसंबर 2021 तक लगभग 35.83 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है। शासन की मंशानुरूप आगामी 5 वर्षों में समस्त विभागों के माध्यम से 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना लक्षित है, इसमें जल संसाधन विभाग का लक्ष्य 46 लाख हेक्टर है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-11-09/2017/1/9 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई मिशन का गठन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया। सूक्ष्म (माइक्रो) सिंचाई योजनाओं के द्वारा उच्च स्तर पर स्थित क्षेत्रों में भी सिंचाई करना संभव है तथा सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता भी काफी कम आती है। जल के इष्टतम उपयोग होने से जल अधिकता से होने वाली हानि से भी फसलों का बचाव होता है तथा प्रति हेक्टर अच्छी गुणवत्ता वाला अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। निर्माणाधीन योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 22 वृहद् एवं 33 मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इनके पूर्ण होने पर इन सिंचाई योजनाओं की कुल सिंचाई क्षमता क्रमशः 1492320 हेक्टर एवं 294415 हेक्टर निर्मित होगी, जिससे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित वृद्धि होगी।

3.1.1 वृहद् सिंचाई परियोजनाएं :-

प्रदेश में 21 वृहद् सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है एवं 27 निर्माणाधीन वृहद् सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

3.1.1.1 निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाएं :-

(राशि रु.करोड़ में, सैच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बोध	नहर		
1	मोहनपुरा सिंचाई परियोजना	राजगढ़	3866.34	145661	572.96	100	75	02/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
2	कुंडालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना	राजगढ़ / आगर मालवा	3448.00	139600	552.75	100	80	03/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
3	पार्वती वृहद परियोजना	राजगढ़	1815.54	48000	162.00	80	2	H/w 06/22, Canal 07/24	प्रेशराइज्ड पाईप
4	सुठालिया वृहद परियोजना	राजगढ़	1375.24	49800	183.00	0	0	07/2024	प्रेशराइज्ड पाईप
5	सम्राट अशोक सागर फेस-II	विदिशा / रायसेन	110.15	30324	252.13	100	98	03/2022	नहर
6	कोठा बैराज सिंचाई परियोजना	विदिशा	515.18	20000	63.51	10	25	12/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
7	चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	501.03	28000	—	—	70	10/2023	प्रेशराइज्ड (राजघाट नहर से)
8	माही कमाण्ड विस्तार परियोजना	धार / झाबुआ	834.24	9900	135.60	—	98	03/2022	नहर व प्रेशराइज्ड दोनों
9	शामगढ़— सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	1662.47	85117	373.00	—	64	12/2023	प्रेशराइज्ड (गांधीसागर परि. से)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैन्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बोध	नहर		
10	बाणसागर परियोजना (नहर)	रीवा/सीधी/शहडोल/सतना	3858.73	291620	5429.60	पूर्ण	98%	03/2023	नहर
11	महान परियोजना	सीधी	486.96	21740	149.768	100	96	03/2023	नहर
12	रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	सतना	387.08	20000	—	—	38	12/2022	प्रेशराइज्ड पाईप (बाणसागर परि. से)
13	नईगढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	रीवा	856.04	50000	—	-	50	10/2022	प्रेशराइज्ड पाईप (बाणसागर बहुती नहर से जलाशय से)
14	गौड़ परियोजना	सिंगरौली	1097.67	33000	102.00	0	0	12/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
15	चंबल सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना	श्यापुर	153.57	12000	—	—	85	03/2023	प्रेशराइज्ड (चंबल नहर प्रणाली से)
16	कनेरा उ.सि. परियोजना	भिण्ड	46.95	15500	—	-	0	06/2023	उद्वहन सिंचाई योजना
17	बानसुजारा परियोजना	टीकमगढ़	1768.50	75000	276.04	99	99	07/2022	प्रेशराइज्ड पाईप
18	लोअर ओर परियोजना	शिवपुरी	2208.03	119535	371.40	82	35	06/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
19	मों रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना	दतिया	2244.97	78484	237.87	0	0	07/2024	प्रेशराइज्ड पाईप

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैन्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बोध	नहर		
20	पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना	दमोह/सागर	674.90	25000	78.88	100	85	10/2022	प्रेशराइज्ड एवं नहर
21	सीता नगर परियोजना	दमोह	518.09	16200	59.11	75	75	06/2022	प्रेशराइज्ड पाईप
22	बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना	सागर/विदिशा	3255.31	90000	341.50	चकरपुर 55 मढ़िया 40	2	06/2026	प्रेशराइज्ड पाईप
23	बण्डा सिंचाई परियोजना	सागर	2610.54	80000	282.82	22	17	12/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
24	हनौता परियोजना	सागर	1392.42	40000	146.84	5	5	06/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
25	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	सिवनी/छिन्दवाड़ा	2544.57 (3336.64 पुनरीक्षित)	85000 (126647 प्रस्तावित)	421.26	100	85	06/2023	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाईप दोनों
26	छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना	छिंदवाड़ा	5470.95	190500	651.68	0	0	06/2026	प्रेशराइज्ड पाईप
27	हरसी वृहद परियोजना (सदृढीकरण कार्य)	ग्वालियर	55.25	66000	0	&	15	06/2023	नहर

3.1.1.2 प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त वृहद सिंचाई परियोजनाएं :-

(राशि रु.करोड़ में, सैच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	भन्नी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	शहडोल	280.31	18300	-	प्रेशराइज्ड पाईप
2	ताप्ति (चिल्लूर) परियोजना	बैतूल/खण्डवा	2627.95	81600	279.00	प्रेशराइज्ड पाईप
3	मूंझरी परियोजना	श्यापुर	414.79	11575	54.52	प्रेशराइज्ड पाईप

3.1.1.3 चिन्हित वृहद सिंचाई परियोजनाएं :

(राशि रु.करोड़ में, सैच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	रिहंद उद्वहन परियोजना	सिंगरौली	648.56	38000	-	प्रेशराइज्ड पाईप
2	जेटला बांध	सीहोर	754.00	27000	95.82	प्रेशराइज्ड पाईप
3	छोटी महानदी वृहद परियोजना	कटनी	2470.09	85500	310.80	प्रेशराइज्ड पाईप
4	शिवना नदी मध्यम सिंचाई परियोजना	मंदसौर	580	19500	90.70	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाईप
5	नावथा बैराज वृहद लिफ्ट परियोजना	बुरहानपुर	936.40	25000	140.00	प्रेशराइज्ड पाईप
6	माछारेवा-शोर काम्प्लेक्स अन्तर्गत	नरसिंहपुर	571.98	16457	51.29	प्रेशराइज्ड पाईप
	(अ) मछारेवा वृहद सिंचाई परियोजना					
	(ब) शेर नदी एरीगेशन काम्प्लेक्स	सिवनी/नरसिंहपुर	1463.50	47450	165.43	प्रेशराइज्ड पाईप

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
7	अपर बुढनेर वृहद परियोजना	मण्डला	794.66	43300	101.53	प्रेशराइज्ड पाईप
8	कुम्भराज (बीनागंज) वृहद परियोजना	गुना	687.02	22000	80.0	प्रेशराइज्ड पाईप
9	श्यामपुर वृहद परियोजना	सीहोर	651.00	15000	75.0	प्रेशराइज्ड पाईप
10	बिलाव उद्वहन सिंचाई परियोजना	भिण्ड	400.00	15000	88	नहर
11	श्रीमन्त माधवराव सिंधिया बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	5250.00	215000	800	नहर / प्रेशराइज्ड

3.1.1.4 वृहद परियोजनाओं का ई.आर.एम. ; Extension/Renovation/Modernisation)

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	भौतिक प्रगति (%)	पूर्णता का लक्ष्य (माह/वर्ष)
1	तवा परियोजना की नहर प्रणालियों का ई.आर.एम. द्वितीय चरण	458.01	29.04.2016	25	12/2024
2	तवा परियोजना की नहर प्रणालियों का ई.आर.एम. तृतीय चरण	325.00	29.04.2016	95	06/2022
3	तवा परियोजना की नहर प्रणालियों का ई.आर.एम. चतुर्थ चरण	75.00	29.04.2016	95	06/2022
4	बारना परियोजना की समस्त नहर प्रणालियों का ई.आर.एम. एवं बारना विस्तारीकरण	581.00	15/02/2013	96	06/2022

3.1.2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

प्रदेश में 101 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। 46 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :

3.1.2.1 निमार्णाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं :-

(राशि रु.करोड़ में,सैच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्रं	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बोध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बरखेड़ा परियोजना	धार	308.56	15000	52.44	65	20	12/2022	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
2	कारम परियोजना	धार	304.44	10500	40.53	75	0	08/2023	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
3	भाम (राजगढ़) परियोजना	खंडवा	228.12	7900	25.09	80	0	06/2022	प्रेशराइज्ड पाईप
4	आंवलिया परियोजना	खंडवा	165.08	6700	20.15	90	80	06/2022	प्रेशराइज्ड पाईप
5	भावसा सिंचाई परियोजना	बुरहानपुर	104.45	3750	13.64	10	0	6/2023	दबावयुक्त हौज पाइप
6	बहरी विस्तार परियोजना (महान द्वितीय चरण)	सीधी	204.02	7500	—	—	77	06/2022	नहर (महान परि. से)
7	हिरवार सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना	शहडोल	116.78	7000	—	—	99	03/2022	प्रेशराइज्ड पाईप (बाणसागर परि. से)

स. क्रं.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बोँध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	झिन्ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	सतना	36.17	2600	—	—	59	06/2022	प्रेशराइज्ड पाईप (बाणसागर परि. से)
9	सीप अंबर परियोजना	सीहोर	174.94	8000	00	—	00	06/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
10	खरसानिया परियोजना	सीहोर	46.12	4915		—	65	06/2022	नहर (कोलार परि. से)
11	कान्याखेड़ी परियोजना	सीहोर	102.71	2400	11.68	00	00	06/23	प्रेशराइज्ड पाईप
12	दीवानगंज नहर परियोजना	रायसेन	81.34	7000	252.13	—	85	06/2022	नहर (स.अ. सा. परि. से)
13	टेम मध्यम परियोजना	विदिशा	383.15	9990	48.975	10	0	06/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
14	संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना	विदिशा	291.95	9893	76.52	100	90	06/2022	नहर
15	सरकुला उदवहन् सिंचाई योजना	शिवपुरी	226.62	6500	24.09	0	0	08/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
16	आसन बैराज परियोजना	मुरैना	112.83	5500	30.63	98	-	06/2022	बैराज (कोतवाल एवं पिलौआ बांध की पूर्ति हेतु)

स. क्रं	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैन्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बौध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	खर्गाघाट मध्यम परियोजना	दतिया	46.43	3500	—	—	95	03/2022	नहर (राजघाट परि. से)
18	परकुल परियोजना	सागर	114.96	3200	20.37	85	70	12/2022	नहर
19	सूरजपुरा परियोजना	सागर	89.55	4325	24.74	100	87	03/2023	नहर
20	सोनपुर परियोजना	सागर	181.8	7000	39.05	100	83	06/2022	नहर
21	आपचंद म.सि. परियोजना	सागर	162.66	4830	18.23	0	0	12/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
22	कड़ान म.सि. परियोजना	सागर	385.79	12000	40.05	48	60	06/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
23	कैथ म.सि. परियोजना	सागर	162.47	5135	21.12	0	0	08/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
24	कोपरा मध्यम परियोजना	सागर	292.38	9990	41.24	0	0	12/2024	प्रेशराइज्ड पाईप
25	पवई म.सि. परियोजना	पन्ना	600.81	25820	122.25	100	50	03/2023	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाईप दोनों
26	रुन्ज म.सि. परियोजना	पन्ना	269.79	14450	64.70	60	0	12/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
27	मझगांव म.सि. परियोजना	पन्ना	358.99	13035	105.23	50	0	03/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
28	जूडी म.सि. परियोजना	दमोह/छतरपुर	240.24	8500	28.33	0	0	09/2022	प्रेशराइज्ड पाईप
29	सतधारू म.सि. परियोजना	दमोह	315.65	7555	63.03	100	60	06/2023	प्रेशराइज्ड पाईप

स. क्रं.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड/नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बौध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	साजली म.सि. परियोजना	दमोह	366.00	9950	38.23	75	79	06/2022	प्रेशराइज्ड पाईप
31	पारसडोह म.सि. परियोजना	बैतूल	585.21	19785	69.816	100	90	06/2022	प्रेशराइज्ड पाईप
32	वर्धा म.सि. परियोजना	बैतूल	155.26	5700	23.30	85	65	06/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
33	निरगुड़ म.सि. परियोजना	बैतूल	99.87	3500	14.018	80	60	12/2022	प्रेशराइज्ड पाईप
34	गढा म.सि. परियोजना	बैतूल	307.52	8500	31.885	0	0	07/2023	प्रेशराइज्ड पाइप
35	घोघरी म.सि. परियोजना	बैतूल	318.86	9990	37.89	95	80	06/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
36	मेढा म.सि. परियोजना	बैतूल	268.71	5800	34.11	65	80	08/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
37	मुरकी म.सि. जलाशय परियोजना	डिण्डौरी	152.26	7000	27.67	95	10	12/2023	नहर एवं हौज
38	डिण्डौरी म.सि. जलाशय परियोजना	डिण्डौरी	384.08	9920	79.23	0	0	06/2024	प्रेशराइज्ड पाईप
39	करंजिया म.सि. नहर परियोजना	डिण्डौरी	132.00	9100	—	0	0	06/2024	प्रेशराइज्ड (डिण्डौरी परि. से)
40	खरमेर म.सि. जलाशय परियोजना	डिण्डौरी	348.10	9980	46.79	0	0	06/2024	प्रेशराइज्ड पाईप

स. क्रं.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	भौतिक प्रगति (%)		पूर्णता लक्ष्य (माह/वर्ष)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
						बौध	नहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	अपर तिलवारा म.सि. नहर प्रणाली	सिवनी	120.02	7950	0	—	98	03/2022	नहर (सं.सरो. परि. से)
42	मोहगांव म.सि. जलाशय	सिवनी	83.33	2950	20.28	75	85	06/2022	नहर
43	छीताखुदरी म.सि. जलाशय परियोजना	जबलपुर	310.03	12125	69.74	85	5	12/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
44	बघराजी म.सि. नहर प्रणाली	जबलपुर	33.42	2800	0	आवश्यक नहीं	5	12/2023	प्रेशराइज्ड पाईप (हिरन परि. से)
45	हिरन म.सि. जलाशय परियोजना	जबलपुर	225.99	8125	34.06	45	5	12/2023	प्रेशराइज्ड पाईप
46	सेमरी म.सि. परि.	रायसेन	144.600	5700	29.85	100	96	06/2022	प्रेशराइज्ड पाईप

3.1.2.2 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त मध्यम सिंचाई परियोजनाएं :-

(राशि रु.करोड़ में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	पतने मध्यम परियोजना	पन्ना	259.57	9340	112.68	नहर
2	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना	सागर	170.88	5400	24.04	प्रेशराइज्ड पाईप

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र (CCA)	जीवित जल क्षमता (MCM)	प्रस्तावित सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
3	हरवाखेड़ी (बनी) परियोजना	उज्जैन	106.75	3200	10.76	प्रेशराइज्ड पाईप
4	कुबुलपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	शाजापुर	129.53	4090	13.63	प्रेशराइज्ड पाईप
5	ग्वालटोरिया मध्यम परियोजना	गुना	97.50	3000	10.00	प्रेशराइज्ड पाईप
6	ऐर (सनघटा) मध्यम सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	145.45	4630	21.87	हॉज प्रेशराइज्ड पाईप
7	झाडवीडा उद्वहन सिंचाई	होशंगाबाद	150-39	15510	लागू नहीं	प्रेशराइज्ड पाईप

3.1.2.3 चिन्हित मध्यम सिंचाई परियोजनाएं:-

(राशि रु.करोड़ में,सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमानित सैंच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड /नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
1	करन नदी परियोजना	रतलाम	219.34	6600	34.82	प्रेशराइज्ड पाईप
2	चेंटीखेड़ा बांध परियोजना	श्यापुर	400.28	9200	87.00	प्रेशराइज्ड पाईप
3	खिरई मध्यम सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	210.00	6000	30.00	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाईप
4	आहू मध्यम परियोजना	आगर	161.71	4600	18.19	प्रेशराइज्ड पाईप
5	बैनगंगा बैराज	बालाघाट	0.18	6430	35.00	सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित
6	ताखाजी सूक्ष्म मध्यम परियोजना	मंदसौर	66.42	4650	-	प्रेशराइज्ड पाईप
7	उमरपुरा तालाब (आहू कांपलेक्स (2 स्कीम))	शाजापुर	132.33	2800	8.47	प्रेशराइज्ड पाईप सिस्टम

स. क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमानित सैच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर / प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
8	श्यामपुर परियोजना	सीहोर	420	12000	40	प्रेशराइज्ड पाईप
9	घाटाखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना	राजगढ़	378.45	9500	33.00	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
10	घाटाखेडी तालाब (नहर रहित)	रायसेन	88.70	2700	7.20	प्रेशराइज्ड पाईप
11	निवारी तालाब परियोजना	गुना	214.19	6155	23.02	नहर
12	सिरसी तालाब परियोजना	गुना	89.83	2574	9.58	नहर
13	दिशाखेडी अर्न्तराज्यीय मध्यम परियोजना	गुना	150.00	5000	20.70	प्रेशराइज्ड पाईप
14	जखरौदा सालेय परियोजना	अशोकनगर	173.62	5000	17.6	प्रेशराइज्ड पाईप
15	कैलारस मध्यम सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	315	9000	31	प्रेशराइज्ड पाईप
16	देहरीकला गोविन्दपुर मध्यम सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	196.43	5700	22.28	प्रेशराइज्ड पाइप
17	पनहेटी गध्यम परियोजना	गुना	97.33	3000	11.80	प्रेशराइज्ड पाइप
18	मवालनाला परि.	भोपाल	105	3000	10	प्रेशराइज्ड पाईप
19	करिया बांध परियोजना	सीहोर	588	16800	56	प्रेशराइज्ड पाईप
20	सीतलझिरी परियोजना	बैतूल	3500	9990	55.52	प्रेशराइज्ड पाईप
21	शिवगढा परियोजना	बैतूल	1050	3520	12.60	प्रेशराइज्ड पाइप

स. क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमानित सैच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
22	सातलदेही परियोजना	बैतूल	110.83	3000	14.17	प्रेशराइज्ड पाईप
23	साकुल जलाशय परियोजना	जबलपुर	199.49	5700	28.50	प्रेशराइज्ड पाईप
24	तवा परियोजना के अंतर्गत खिरकिया नहर की मुहाल माइनर, का निर्माण कार्य	हरदा	5.87	988	लागू नहीं	नहर
25	खिरकिया नहर की 6 एल माइनर, का निर्माण कार्य	हरदा	1.14	180	लागू नहीं	नहर
26	पी.बी.सी. उद्वहन सिंचाई परियोजना	होशंगाबाद	28.57	2692	लागू नहीं	प्रेशराइज्ड पाईप
27	मिडवासा मध्यम परियोजना	सागर	343	9800	54.00	प्रेशराइज्ड पाईप
28	गोडारु माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट	शहडोल	93.70	6000	-	प्रेशराइज्ड पाइप
39	बुढार माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट	शहडोल	136.20	9600	-	प्रेशराइज्ड पाइप
30	डोकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना	बालाघाट	67.84	2925	10.785	नहर प्रणाली
31	लामटा सूक्ष्म परियोजना	बालाघाट	167.18	6930	50.52	प्रेशराइज्ड पाईप
32	साल्हेटोला सूक्ष्म परियोजना	बालाघाट	38.79	2780	1.00	प्रेशराइज्ड पाईप
33	काडला जलाशय	बालाघाट	100.56	3000	20.00	नहर प्रणाली
34	पट्टीनाला जलाशय परियोजना	बालाघाट	84.40	2500	16.80	नहर प्रणाली

स. क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमानित सैच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर / प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
35	डोरली जलाशय परियोजना	बालाघाट	306.00	9000	59.360	नहर प्रणाली
36	मशानटोंग जलाशय	बालाघाट	114.90	6000	1435	नहर प्रणाली
37	तलावड़ा बैराज	झाबुआ	126.81	3000	38.63	प्रेशराइज्ड पाईप
38	बेनी तालाब परियोजना	बडवानी	142.68	3861	21.335	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
39	कृण्डिया तालाब	खरगोन	356.92	9300	47.55	प्रेशराइज्ड पाईप
40	देजला देवडा अति कमाण्ड विस्तार	खरगोन	33.96	2400	50.29	प्रेशराइज्ड पाईप
41	पांगरी परियोजना	बुरहानपुर	154.55	4400	18.20	प्रेशराइज्ड पाईप
42	झिरगिटी बैराज परियोजना	बुरहानपुर	242.29	6900	31.25	प्रेशराइज्ड पाईप
43	छोटी उतावली परियोजना	बुरहानपुर	141.54	4000	17.89	प्रेशराइज्ड पाईप
44	खैरीमाता (बुढैना) जलाशय	नरसिंहपुर	58.30	2500.	22.70	नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों
45	बिजना	सिवनी	130.00	5200	4.58	नहर प्रणाली
46	मल्हारगढ़	अशोकनगर	93.76	6750	22.50	प्रेशराइज्ड पाईप
47	समाकोटा बैराज	उज्जैन	201.14	6000	17.57	प्रेशराइज्ड पाईप
48	डोंगरिया बैराज	उज्जैन	64.93	3350	9.36	प्रेशराइज्ड पाईप
49	सीतामढ़ी जलाशय	अनूपपुर	343.00	9800	57.65	प्रेशराइज्ड पाईप

स. क.	परियोजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुमानित सैच्य क्षेत्र (CCA)	अनुमानित जीवित जल क्षमता (MCM)	सिंचाई प्रणाली (नहर/ प्रेशराइज्ड / नहर एवं प्रेशराइज्ड दोनों)
50	दौरीसागर बांध	सतना	243.89	7200	31.60	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाईप
51	बोकरो माइको सिंचाई योजना	सीधी	51.00	3510	23.77	प्रेशराइज्ड पाईप
52	बनास माइको सिंचाई परि.	सीधी	203.32	8800	13.28	प्रेशराइज्ड पाईप
53	पतालगढ़ मध्यम सिंचाई परि.	श्यापुर	60.00	2000	20.00	नहर
54	मशानटोंग पिकअप वियर	सिवनी	100.83	6584	38.73	प्रेशराइज्ड पाईप
55	बारातमरी जमुनिया जलाशय	छिन्दवाड़ा	129.54	3000	14.52	नहर
56	भैसननदी जलाशय	छिन्दवाड़ा	174.96	5000	30.00	नहर
57	सिंध-2 खैजरा अटारी मध्यम सिंचाई योजना	अशोकनगर	180.00	6000	22.75	नहर एवं प्रेशराइज्ड पाईप
58	सिंध-3 रसूलपुर रुसिया म.सि.यो.	अशोकनगर	105.00	3500	13.40	प्रेशराइज्ड पाईप
59	गंगापुरी म.सि.यो.	भोपाल	154.00	6000	20.00	प्रेशराइज्ड पाईप
60	बेगम नदी म.सि.यो.	रायसेन	126.00	3600	12.00	प्रेशराइज्ड पाईप
61	गरन्जु नाला म. सि.यो.	रायसेन	105.00	3000	12.00	प्रेशराइज्ड पाईप
62	जयपुरा 51 नाला म.सि.यो.	रायसेन	367.00	10500	35.00	प्रेशराइज्ड पाईप
63	गजन्दा	रायसेन	180.00	6000	20.00	प्रेशराइज्ड पाईप

3.1.3 लघु सिंचाई योजनाएं :-

प्रदेश में दिसंबर 2021 तक 5116 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। 288 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :-

3.1.3.1 निमार्णाधीन लघु सिंचाई परियोजनाएं :-

(राशि रु. लाख में, सैच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में
1	मुरैना	5	1925	2017.24
2	शिवपुरी	2	1096	2982.90
3	श्यापुर	3	866	825.1
4	दतिया	01	200	1.19
5	ग्वालियर	1	52	108.26
6	भिण्ड	4	1852	1729.77
7	सागर	27	14560.0	42249.42
8	दमोह	1	670	1160.92
9	पन्ना	10	11092	30100.33
10	छतरपुर	5	2540	6620.22
11	टीकमगढ़	1	570	1973.89
12	अनूपपुर	9	6445	14832.30
13	रीवा	1	1980	4766.15
14	सिंगरौली	2	565	1787.13
15	सतना	2	2775	7518
16	शहडोल	13	7674	24786.87
17	सीधी	1	410	1433.00
18	उमरिया	10	7040	18432.46
19	बैतूल	5	2500	7361.35
20	राजगढ़	6	627	1589.32
21	रायसेन	14	5775	16747.61
22	विदिशा	7	7057	8374.36
23	सीहोर	11	5804	13458.75
24	गुना	6	1555	3068.40

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में
25	अशोकनगर	2	415	620.00
26	छिंदवाड़ा	36	12311	30453.91
27	डिंडोरी	03	1037	3660.23
28	जबलपुर	04	3463	8697.97
29	मंडला	04	2178	6943.17
30	सिवनी	21	8739	25909.43
31	कटनी	03	1046	2594.71
32	बालाघाट	08	3435	10236.81
33	अलीराजपुर	09	2020	3586.23
34	बड़वानी	10	5990	17023.19
35	बुरहानपुर	03	640	1410.39
36	धार	06	2925	6791.26
37	इन्दौर	7	1890	2544.75
38	झाबुआ	11	3448	5467.99
39	खंडवा	04	1511	42.64
40	खरगोन	04	4575	12915
41	नीमच	1	430	15.01
42	रतलाम	1	300	8.38
43	शाजापुर	1	225	6.61
44	आगर	3	1177	30.40
	योग :-	288	143385	352883

नोट :- होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, निवाड़ी, मंदसौर, उज्जैन, नागदा एवं भोपाल जिलों में कोई भी लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन नहीं हैं।

3.1.3.2 चिन्हित लघु सिंचाई परियोजनाएं:-

(राशि रु. लाख में, सैच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में
1	मुरैना	5	2700	3421.80
2	भिण्ड	6	2081	2518.79
3	दतिया	6	1500	19.05
4	शिवपुरी	14	4682	14510.31
5	छतरपुर	11	4690	4690.00
6	कटनी	02	207	431.74
7	मण्डला	02	361	906.47
8	सिवनी	29	7809	21432.82
9	नरसिंहपुर	04	300	546.59
10	छिंदवाड़ा	105	24025	84975.99
11	बैतूल	13	3058	8280.14
12	बुरहानपुर	08	4390	10281.56
13	अलीराजपुर	10	5715	13241.22
14	झाबुआ	07	1749	2785.97
15	धार	04	1208	2910.17
16	इन्दौर	05	897	1740.00
17	मनावर/धार	20	7323	14838.65
18	खरगौन	08	2000	4945.31
19	बड़वानी	58	21709	65189.87
20	ग्वालियर	3	3545	444.13
21	बालाघाट	08	2603	9589.60
22	जबलपुर	04	311	573.27
23	डिण्डौरी	12	3430	12107.80
24	उज्जैन	5	1300	17.84
25	देवास	8	3525	69.74
26	आगर	4	1335	23.17
27	रतलाम	16	5010	119.45
28	नीचम	7	3246	91.31
29	मन्दसौर	4	2115	42.73

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में
30	सीहोर	28	6520	12075.68
31	विदिशा	8	2076	6049.49
32	श्यामपुर	3	787	909.20
33	सीधी	1	1400	4216.00
34	अनूपपुर	7	2591	7916.62
35	उमरिया	5	3749	21269.20
36	सतना	4	1580	5044.80
37	शहडोल	6	2395	7044.06
38	सागर	06	4331	15156
39	दमोह	12	6459	117067.06
40	पन्ना	05	1000	1524.46
योग :-		473	155712	479018.06

3.1.3.3 सर्वेक्षणाधीन लघु सिंचाई परियोजनाएं:

(राशि रु. लाख में, सैंच्य क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रुपये लाख में
1	अशोक नगर	1	230	300.40
2	सागर	7	1604	4081.64
3	सतना	2	2495	8575
4	सिंगरोली	1	1045	3657
5	शहडोल	8	1861	5060.33
6	अनूपपुर	2	1140	2502.5
7	कटनी	15	5888	16512.14
8	जबलपुर	03	597	1917.06
9	डिण्डोरी	08	3785	13037.21
10	बालाघाट	7	7465	22234.10
11	नरसिंहपुर	06	1133	2038.74
12	छिंदवाड़ा	67	29088	96317.98
13	बैतूल	9	1850	5084.71

14	रायसेन	1	355	589.50
15	विदिशा	7	1430	2456.79
16	सीहोर	4	695	859.22
17	राजगढ़	4	465	1366.10
18	शाजापुर	18	7077	184.91
19	आगर	6	2025	43.70
20	देवास	6	1615	33.80
21	बुरहानपुर	04	2440	4128.40
22	बड़वानी	11	3110	7328.43
23	अलीराजपुर	10	2714	7687.66
24	उज्जैन	11	9404	253.18
25	रतलाम	9	2133	49.16
26	मंदसौर	3	1020	19.73
27	नीमच	9	4397	129.99
28	इन्दौर	06	1155	2586.81
29	झाबुआ	02	390	743.13
30	खण्डवा	02	734	1889.41
31	दतिया	01	200	2.10
32	मण्डला	03	880	2387.80
33	सिवनी	12	8474	23169.23
योग :-		265	108894	237227.86

3.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :-

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” लागू की गई है। ए.आई.बी. पी. एवं कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंश बना दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक निम्नानुसार हैं:-

1. ए.आई.बी.पी(त्वरित सिंचाई लाभ योजना) ।
2. हर खेत को पानी ।
3. पर ड्रॉप मोर क्रॉप ।
4. जलग्रहण क्षेत्र विकास ।

3.2.1 ए.आई.बी.पी. (त्वरित सिंचाई लाभ योजना) :-

ए.आई.बी.पी. (त्वरित सिंचाई लाभयोजना) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को निश्चित अवधि में पूरा करने तथा ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं, जिनका वित्त पोषण राज्यों की वित्तीय क्षमता के लिये कठिन हो, को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आदिवासी एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं हेतु 60 प्रतिषत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2016 से इस योजनाको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) में जल संसाधन विभाग की कुल 10 वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 5,01,100 हेक्टर है। इन परियोजनाओं में से कुल 07 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 03 परियोजनाएं (पेंच, माही एवं महान) जून 2022 तक पूर्ण करना लक्षित है। इन समस्त परियोजनाओं से 5,01,100 हेक्टर सिंचाई क्षमता के विरुद्ध दिसम्बर 2021 तक कुल 4,97,448 हेक्टर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।

PMKSY-AIBP के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 07 परियोजनाओं में कुल रु. 56.73 करोड़ की केन्द्रीय सहायता (CA) प्राप्त हुई है। वर्ष 2017-18 में 03 परियोजनाओं में कुल रु. 74.82 करोड़ की केन्द्रीय सहायता (CA) प्राप्त हुई है। वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2019-20 में 03 परियोजनाओं में कुल रु. 15.66 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय सहायता प्राप्त है। वर्ष 2021-22 के लिये केन्द्रीय सहायता प्रस्ताव भेजा गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2020-2021 में कुल 63 लघु सिंचाई योजनाओं को ए.आई.बी.पी (PMKSY) अंतर्गत स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया है। इन 63 लघु सिंचाई परियोजनाओं में कुल 18,580 हेक्टर सैच्य क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य प्रावधानित है।

3.2.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –हर खेत को पानी (PMKSY-HKKP-GW) :-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में म.प्र. के 5 जिलों के मण्डला, डिंडोरी, शहडोल उमरिया, एवं सिंगरोली में भू-जल स्रोतों से लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चयन किया जाकर म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 22(ए)98/एम.पी. एस./31/1549 दिनांक 26.12.2020 द्वारा रु. 1706.40 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की कुल लागत में केन्द्र एवं राज्य शासन का अंश 60:40 है। राज्य स्तरीय बजट से रु. 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं आवंटन अपेक्षित है।

3.2.3 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश :- कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं से आगामी 03 वर्षों में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित क्षमता 46 लाख हेक्टेयर किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

3.2.4 कमाण्ड क्षेत्र विकास:-

राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में आयकट विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 2002 में आयकट विभाग को समाप्त कर इसका संविलयन जल संसाधन विभाग में पूर्ण अमले सहित किया गया। वर्ष 2013 को राज्य शासन द्वारा आयुक्त (प्र.अ.समकक्ष) कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय का गठन किया जाकर, इसके अधीन 8 परि. प्रशासक कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया गया। कमाण्ड क्षेत्र विकास, संचालनालय, भोपाल के अन्तर्गत राज्य की वर्ष 1985-1986 से 2013-14 तक कुल 23 कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्र शासन द्वारा प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम, वर्ष 2016 में पुनः पुनरीक्षण कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हर खेत को पानी घटक अंतर्गत 10 योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया।

वर्तमान में संचालनालय के अंतर्गत 23 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कुल कमाण्ड क्षेत्र 10,37,765 हेक्टर के विरुद्ध दिनांक 31.03.2021 तक कुल 7,16,836 हेक्टर में फील्ड चैनल का निर्माण कार्य संपादित कराया गया है। परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में क्षेत्र हे.में)

स.क्र	परियोजना का नाम	कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लागत (लाख में)	31.03.21 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2021-22 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2021 तक	वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)	रिमार्क
1	सिंध वृहद् परियोजना (फेस- I।)	98250	39408.83	77267	2000	399	0.00	—
2	बाण सागर परियोजना	154687	59146.30	110765	3000	499	0.00	—
3	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	70918	26568.03	19766	1000	194	0.00	—

स.क्र	परियोजना का नाम	कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लागत (लाख में)	31.03.21 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2021-22 (हेक्टर)	उपलब्धि 12 / 2021 तक	वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)	रिमार्क
4	महान वृहद परियोजना	16150	6056.33	10456	700	299	0.00	—
5	सिंहपुर परियोजना	6000	2255.00	5282	0	0	0.00	—
6	महुअर मध्यम परियोजना	9500	3567.20	8550	0	0	0.00	—
7	सगड़ मध्यम परियोजना	9478	3551.22	8530	0.00	0.00	0.00	—
8	माही वृहद परियोजना	28127	12873.30	15320	1084	140	0.00	—
9	संजय सागर (बाह) परियोजना	9893	3705.64	7882	862	399	0.00	—
10	बरियारपुर वृहद परियोजना	38990	8541.60	30622	238	194	0.00	—
11	कोलार वृहद परियोजना	45087	8400.00	25895	0	0	0.00	—
12	रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना	157000	31162.40	64125	0	0	0.00	—
13	राजघाट नहर परियोजना	164789	38936.28	119796	0	0	0.00	—
14	हरसी परियोजना	62675	15894.77	56138	0	0	0.00	—
15	बिलगांव मध्यम परियोजना	9262	3470.34	5609	0	0	0.00	—
16	गुरमा मध्यम परियोजना	4740	1684.70	2058	0	0	0.00	—

स.क्र	परियोजना का नाम	कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टर)	लागत (लाख में)	31.03.21 तक की प्रगति (हेक्टर)	लक्ष्य 2021-22 (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2021 तक	वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्त केन्द्रांश (लाख में)	रिमार्क
17	वैनगंगा परियोजना	112900	16729.34	112900	0	0	0.00	—
18	कुवंर चैन सिंह सागर परियोजना	3700	614.07	3448	0	0	0.00	—
19	बाघ परियोजना	16600	2889.15	16600	0	0	0.00	—
20	रेहटी मध्यम परियोजना	2194	825.68	919	0	0	0.00	—
21	बघरू मध्यम परियोजना	2250	846.51	2050	0	0	0.00	—
22	कछाल मध्यम परियोजना	3470	1304.87	3470	0	0	0.00	—
23	थांवर परियोजना	11105	4759.66	9388	0	0	0.00	—
कुल :-		1037765	293191.22	716836	8884	2124	0.00	

3.3 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना :-

जल विज्ञान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय, सुलभ, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सतत एवं प्रवाह जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र विकसित करना है। जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र के विकास में भौतिक संरचना और मानव संसाधनों के द्वारा जल संसाधन के आंकड़ों को एकत्रित करना, संग्रहित करना तथा उनका विप्लेषण कर जानकारी का यथोचित उपयोग एवं प्रसार करना सम्मिलित है।

- विश्व बैंक वित्त पोषित जल विज्ञान परियोजना तीन चरणों में प्रदेश में संचालित की जा रही है। जल विज्ञान परियोजना का प्रथम चरण वर्ष 1995 से 2003 तक रहा है, जिसकी कुल लागत रुपये 45.54 करोड़ थी। जल विज्ञान परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत मुख्यतः संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकास एवं Hydrological Information System की

स्थापना से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया गया। इसके अंतर्गत भूजल घटक के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश कार्य क्षेत्र रहा है। सतही जल घटक के अंतर्गत नर्मदा एवं गंगा बेसिन को छोड़कर शेष मध्यप्रदेश में कार्य सम्पादित किये गये। भूजल घटक प्रथम चरण के अंतर्गत मुख्यतः पीजोमीटर खनन का कार्य, डी.डब्ल्यू.एल.आर. (DWLR) की स्थापना, सात संभागीय भूजल डाटा सेन्टर एवं एक राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना की गई। सतही जल घटक के अंतर्गत वैनगंगा, ताप्ती और माही कछार में **Hydrological Information System (HIS)** कार्य सम्पादित हुए हैं।

- जल विज्ञान द्वितीय चरण का कार्यकाल वर्ष 2006–2014 तक रहा। जिसकी लागत रु 20.25 करोड़ थी। द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य जल विज्ञान परियोजना के प्रथम चरण में स्थापित किये गये संसाधनों का उपयोग करते हुए डेटा प्रोसेसिंग एवं वाटर प्लानिंग का कार्य करना था। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वैनगंगा बेसिन क्षेत्र में RTDAS- Decision Support System (DSS) (निर्णय समर्थन प्रणाली) से संबंधित कार्य किया गया।
- जल विज्ञान परियोजना का तृतीय चरण राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के रूप में वर्ष 2017 से प्रारंभ हुआ। भारत सरकार द्वारा जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए कुल लागत रु. 3679.77 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य हेतु 90.00 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2017–25 की अवधि है।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के विकास का उद्देश्य, जल संसाधनों की जानकारीयों को समस्त हितधारकों की पहुंच तक सुगमता से उपलब्ध कराना, गुणवत्ता में आवश्यक सुधार करना और प्रदेश के मौजूदा जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत सतही एवं भू-जल घटकों हेतु कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः गंगा, नर्मदा, ताप्ती और माही कछारों में Real Time Data Acquisition System (RTDAS) तथा भू-जल हेतु 410 पीजोमीटर्स में DWLR Telemetry System स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 मुख्य बांधों पर Dam Automation gsrq SCADA स्थापित किया जा रहा है (बारना, तवा, बरगी, बाणसागर, सजंय सरोवर, गाँधीसागर, अटलसागर माही मेडन डेम, पेंच, राजीव सागर डेम) तथा 10 अन्य बांधों के Visual Surveillance gsrq CCTV System स्थापित किये जाने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया है (सजंय सागर, साम्राट अशोक सागर, बाणसुजारा, कोलार, परासडोह, कुशालपुरा, टिगरा, टिल्लर, मटियारी, सगड़, बिला डेम)। इस हेतु डाटा सेन्टर परिसर में SCADA एवं RTDAS के मॉनिटरिंग सेन्टर का भी निर्माण किया जाना प्रक्रियाधीन है।

प्रस्तावित कार्यों से सतही एवं भू-जल से संबंधित आंकड़े वास्तविक समय में प्राप्त किये जा सकेंगे, जिसके द्वारा जल संसाधनों का उचित आकलन एवं बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। इसमें मानवीय त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। परियोजना के अंतर्गत पूर्व में

स्थापित विभिन्न डाटा सेंट्रो के रिनोवेशन कार्य भी कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वाटर क्वालिटी लैब इक्विपमेंट, कम्प्यूटर, डिजिटल करेन्ट मीटर आदि भी क्रय किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जल आंकड़ों की सूचना प्रणाली (State WRIS) तथा जल संसाधनों से संबंधित प्रयोजन निहित अध्ययन (Purpose Driven Studies), प्रशिक्षण आदि के माध्यम से क्षमता विकास के कार्य शामिल किये गये हैं।

घटकों के अंतर्गत स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

Component	Description of Project Component	Grant Share in Rs. Crores		
		World Bank	MOWR Gol	Total
A	Water Resources Data Acquisition System (जल संसाधन डाटा अधिग्रहण प्रणाली)	32.35	32.35	64.70
B	Water Resources Information System (WRIS) (जल संसाधन सूचना प्रणाली)	2.5	2.5	5.00
C	Water Resources Operation and Planning System(जल संसाधन संचालन एवं योजना प्रणाली)	3.65	3.65	7.30
D	Institutions Capacity Enhancement (संस्थागत क्षमता संवर्धन/विकास)	6.5	6.5	13.0
	TOTAL	45.00	45.00	90.00

परियोजना के अंतर्गत उपकचारों में जल बहाव, वर्षा, भूजल आदि के वास्तविक समय के आंकड़ों का एकत्रीकरण (RTDAS) कार्य आधुनिक तकनीक से किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से समस्त कचारों में Real Time Data Acquisition System की स्थापना तथा लगभग 10 प्रमुख बांधों पर Supervisory Control and Data Acquisition System की स्थापना की जाने की कार्यवाही प्रचलित है। प्राप्त होने वाले आंकड़ों का उपयोग प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के रूपांकन के युक्तियुक्तकरण करने में सहायक होगा। उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग भविष्य में जल विज्ञान अनुसंधान हेतु विभाग के साथ-साथ अन्य संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि इन कार्यों के सम्पादन हेतु सर्वप्रथम विभागीय मद से प्रदेश के विभिन्न कचारों में जल मौसम विज्ञान स्थलों की नेटवर्क स्थापना वर्ष 1981 में शुरू की गई थी। इसके पश्चात् विश्व बैंक की सहायता से जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण के अंतर्गत 1995 से 2003 तक माही, ताप्ती एवं वैनगंगा कचारों में स्थापित जल मौसम विज्ञान केन्द्रों का उन्नयन एवं कुछ नये कार्यस्थल स्थापित किये गये। जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत बैनगंगा, ताप्ती एवं माही कचार में डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर जल प्रवाह स्थलों पर स्थापित किये गये एवं इस प्रणाली के अंतर्गत 29 वर्षामापी, 3 पूर्ण मौसम केन्द्र एवं 14 वाटर लेवल रिकार्डर स्थापित किये गये हैं।

3.4 नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त परियोजनाएँ:-

PMKSY के अंतर्गत राज्यांश के लिये नाबार्ड के एल.टी.आई.एफ मद से ऋण की स्वीकृति प्राप्त हुई। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

सं. कं.	परियोजना का नाम	शेष लागत 1.4. 16 की स्थिति	नवीनतम आंक. डॉ के अनुसार शेष लागत	राज्यांश राशि	नाबार्ड से स्वीकृति राज्यांश राशि	LTIF ऋण में प्राप्त राशि 16-17	LTIF ऋण में प्राप्त राशि 17-18	LTIF ऋण में प्राप्त राशि 18-19	LTIF ऋण में प्राप्त राशि 19-20	LTIF ऋण में प्राप्त राशि 20-21	शेष ऋण 21-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंहपुर बैराज	8.630	8.097	0.533	0.530	0.00	0.533	0.00	0.00	0.00	0.00
2	महुआर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	सगड़	20.862	6.825	14.037	14.040	0.00	5.019	0.00	9.02	0.00	0.00
4	सिंध फेस -2	229.440	39.463	189.977	189.970	135.00	0.00	0.00	33.15	0.00	21.82
5	माही	86.020	7.235	78.785	78.780	0.00	78.780	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बानसागर (यूनिट-2)	2247.230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	बरियारपुर एल.बी.सी.	28.650	18.282	10.368	10.360	0.00	5.349	0.00	5.01	0.00	0.00
8	महान	56.810	11.881	44.929	44.930	0	17.990	0.00	11.64	0.00	15.30
9	पेंच डाइवर्सन	1500.340	—	—	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	संजय सागर (बाह)	31.950	3.325	28.626	28.620	0	6.725	0.00	21.89	0.00	0.01
	योग	4209.932	95.108	367.255	367.23	135.00	114.396	0.00	80.71	0.00	37.127

जल संसाधन विभाग की नाबार्ड अंतर्गत (RIDF) ऋण सहायता प्रावधानित है। जिसके अंतर्गत तीन वृहद, एवं दो मध्यम परियोजनाओं को ऋण स्वीकृति प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:-

सं. कं.	योजना का नाम	जिला	योजना का चरण	लागत	सिंचित क्षमता हेक्टर में	नाबार्ड स्वीकृति राशि रु. (लाख में)	कुल व्यय (रु. लाख में 12 / 2021 तक)	टीप
1	मोहनपुरा वृहद परियोजना (बांध)	राजगढ़	XXI	386634.00	239000	44151.73	43468.14	कार्य प्रगति पर है
2	मोहनपुरा एल.बी. सी. पार्ट- I	राजगढ़	XXII			43147.66	42405.00	कार्य प्रगति पर है
3	मोहनपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी	राजगढ़	XXIII			90793.29	55066.00	कार्य प्रगति पर है

सं. कं.	योजना का नाम	जिला	योजना का चरण	लागत	सिंचित क्षमता हेक्टर में	नाबार्ड स्वीकृति राशि रु. (लाख में)	कुल व्यय (रु. लाख में 12 / 2021 तक)	टीप
4	पंचम नगर	दमोह	XXIII	67489.92	25000	30540.71	25139.00	कार्य प्रगति पर है
5	पारसडोह	बैतूल	XXV	18777.90	19785	18777.90	18432.00	कार्य प्रगति पर है

3.5 डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP - I):—

विश्वबैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) वर्ष 2021-22

राज्य में सिंचाई, जलप्रदाय, विद्युत उत्पादन तथा अन्य लाभों के लिए जलसंसाधनों के भंडारण हेतु बहुत से बाँधों का निर्माण किया गया है। COLD (International Commission on Large Dams) के मापदंड अनुसार म.प्र. में लगभग 906 बाँध, बड़े बाँधों की श्रेणी में आते हैं। इन बाँध के सुदृढीकरण, सुरक्षा एवं कार्य क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु राज्य बाँध सुरक्षा संगठन सामयिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाता है। केन्द्रीय जल आयोग ने विश्वबैंक के सहयोग से देश के कुल 225 बाँधों के सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) प्रारंभ की गई है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2014 को 29 बाँधों हेतु ड्रिप अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. 173.99 करोड़ स्वीकृति की गई है। परियोजना में फंडिंगपेटर्न 80:20 (विश्व बैंक राज्य) रखा गया। दिनांक 21.12.2011 को विश्वबैंक के साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुबंध किया जाकर दिनांक 18.04.2012 से परियोजना प्रभावशील हो गई है। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

(अ) राज्य बाँध सुरक्षा संगठन के संस्थागत ढाँचे का सुदृढीकरण।

(ब) बाँध सुरक्षा की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना।

(स) बाँधों के उन्नयनीकरण एवं सुधारात्मक कार्य करवाना।

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, के आदेश क्रमांक एफ 22-10/2013/पी-1/इकतीस (01) दिनांक 29/07/2013 द्वारा बोधी के अन्तर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई के गठन की स्वीकृति प्रदाय की गई है।

ड्रिप में 25 बाँधों का चयन अंतिम रूप से किया गया। वर्तमान में 25 बाँधों में सुधार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। परियोजना जून 2020 में पूर्ण हो गई है। परियोजना में कुल रु. 145.86 करोड़ व्यय किये गये। कार्यों के पूर्ण होने से बाँधों में निर्धारित क्षमता तक भराव होने से सिंचाई हेतु जल उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट-II (DRIP-II):—

परियोजना मे फंडिंगपेटर्न 70:30 (विश्व बैंक: राज्य) रखा गया है। दिनांक को 10/11/2020 विश्वबैंक द्वारा Negotiation meeting, वर्चुअली आयोजित की जाकर Agreed minutes of meeting पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना अंतर्गत 27 बाँधों के लिए राशि रु. 551.20 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन हेतु एकलनस्ती के माध्यम से दिनांक 19/05/2020 को प्रस्तुत की गई है, जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है।

ड्रिप II के अन्तर्गत राज्य के 27 बाँधों के लिये रु.551.20 करोड़ के प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित कर बाह्य वित्त पोषित परियोजना समिति को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया जिसका अनुमोदन दिनांक 09.09.2021 को हो चुका है। दिनांक 04.08.2021 को विश्व बैंक द्वारा Loan signing meeting वर्चुअल आयोजित कर 27 बाँधों के लिये राशि रु. 551.20 करोड़ का अनुबंध किया जा चुका है जो कि दिनांक 12.10.2021 से प्रभावशील है।

परियोजना अंतर्गत बाँधों का विवरण निम्नानुसार है:—

स. क्र.	परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	जिला	लागत (करोड़ में)
1	भगवंतसागर (सुक्ता) परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	खंडवा	35.9
2	वीरपुर तालाब परियोजना	यमुना कछार, ग्वालियर	मुरैना	13.71
3	चंदिया तालाब परियोजना	धसानकेन कछार, सागर	सागर	6.13
4	चंदोरा परियोजना	होशंगाबाद	होशंगाबाद	4.96
5	चोरल परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	इंदौर	5.52
6	देपालपुर परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	इंदौर	4.11
7	डोकरी खेड़ा परियोजना	होशंगाबाद	होशंगाबाद	9.45
8	गांधी सागर परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	मंदसौर	286.39
9	हताईखेड़ा परियोजना	चम्बल बेतवा कछार, भोपाल	भोपाल	1.59
10	कॉचन तालाब परियोजना	गंगाकछार, रीवा	सिंगरौली	9.51
11	काका साहेब गाडगिल सागर परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	मंदसौर	5.65
12	कलियासोत परियोजना	चम्बल बेतवा कछार, भोपाल	भोपाल	2.82
13	केरवाबाँध परियोजना	चम्बल बेतवा कछार, भोपाल	भोपाल	2.08
14	कुड़ा तालाब परियोजना	यमुना कछार, ग्वालियर	शिवपुरी	2.46
15	माही परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	झाबुआ	16.72

16	मनसूरवारी तालाब परियोजना	धसान केन कछार, सागर	सागर	7.81
17	मटियारी परियोजना	बैनगंगा कछार, सिवनी	नरसिंहपुर	1.69
18	नंदनवारा तालाब परियोजना	धसान केन कछार, सागर	टीकमगढ़	0.83
19	पिपलिया कुमार तालाब परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	शाजापुर	2.73
20	राजघाट परियोजना	धसान केनकछार, सागर	सागर	3.89
21	रेतम बैराज	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	मंदसौर	3.95
22	रुमल तालाब परियोजना	बैनगंगा कछार, सिवनी	सिवनी	4.93
23	रूपनियाखाल तालाब परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	रतलाम	8.43
24	साकल्दा तालाब परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	मंदसौर	0.79
25	टिल्लर परियोजना	नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	शाजापुर	8.29
26	वीर सागर तालाब परियोजना	धसानकेन कछार, सागर	टीकमगढ़	0.14
27	बोहरीबंद बाँध	वेनगंगा, सिवनी	कटनी	4.64

3.6 अटल भूजल योजना

परियोजना की अवधि वर्ष 2020–2025 तक है। इस परियोजना का उद्देश्य जल सवर्धन एवं भूजल स्तर में सुधार करना है। इस परियोजना की कुल लागत रु. 314.54 करोड़ (भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त) परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-15/60/2020/लघु/31/227 भोपाल दिनांक 18/09/2020 द्वारा रुपये 314.54 करोड़ की प्रदाय की गई है जिसमे से निवेश राशि रु. 103.62 करोड़ एवं प्रोत्साहन राशि रु. 210.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार से स्वीकृत कार्य योजना (2021–22 के अन्तर्गत बजट आवंटन अपेक्षित है) इस परियोजना का क्षेत्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे आने वाल 6 जिलों (जिले— सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी) के 9 विकासखण्ड (सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, अजयगढ़, पलेरा, बल्देवगढ़ एवं निवाड़ी) के अंतर्गत 678 ग्राम पंचायतों के कुल 8319 वर्ग कि.मी क्षेत्र को लाभ होगा परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य जनभागीदारी से ग्राम स्तरीय वाटर सिक्यूरिटी प्लान तैयार करना एव राज्य/केन्द्र शासन की विभिन्न प्रचलित योजनाओं के कन्वरजेंस से क्रियान्वयन करना जिसमें सप्लाई साईड एवं डिमांड साईड के जल प्रबंधन कार्य सम्मिलित है। इसमें सहभागी विभाग जल संसाधन विभाग (नोडल एजेन्सी), किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं उद्यानिकी विभाग है।

योजना से अपेक्षित लाभ :-

1. चयनित क्षेत्र में भू-जल स्तर में सुधार एवं लाभ प्राप्त होगा।
2. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय हेतु टिकाऊ जल स्रोत।
3. कृषकों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान।

3.7 केन- बेतवा लिंक परियोजना :-

केन-बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें केन नदी पर दौधन बांध इसके अनुशांगिक कार्य एवं लिंक नहर का निर्माण किया जाना है। केन नदी मध्यप्रदेश के कटनी जिले से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलकर समाप्त होती है। केन नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र 28058 वर्ग कि.मी. का 87 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश में और 13 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा कछार में बीना काम्पलेक्स, कोटा बैराज तथा लोअर ओर परियोजनाओं का निर्माण किया जाना सम्मिलित है। परियोजना से मध्यप्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं दमोह जिलों में माइक्रो इरीगेशन से केन कछार में 4.51 लाख हेक्टर, बेतवा कछार के विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी एवं दतिया जिलों में 2.06 लाख हेक्टर तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के बांदा, महोबा और झांसी जिलों में 2.51 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र में सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना से उत्पन्न होने वाली 103 मेगावाट बिजली पर पूरा अधिकार मध्यप्रदेश का रहेगा। इस परियोजना के द्वारा कुल 9.08 लाख हे. (म.प्र. में 6.57 लाख हे. एवं उ.प्र. में 2.51 लाख हे. कुल 9.08 लाख हे. सी.सी.ए.) क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 62 लाख (म.प्र. 41 लाख, उ.प्र. 21 लाख) आबादी के लिए पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। पेयजल हेतु केन एवं बेतवा कछार में (म.प्र. हेतु) कुल 127 MCM जल का प्रावधान रखा गया है। योजना से म.प्र.राज्य में वार्षिक सिंचाई 8.11 लाख हेक्टेयर में की जावेगी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित केन-बेतवा लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के मध्य दिनांक 25.08.2005 को एक त्रिपक्षीय मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। वर्ष 2009 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया एवं इसके वित्त पोषण हेतु 90:10 अनुपात में केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकारों के मध्य आधार निश्चित किया गया। तदनुसार दोनों राज्य इस परियोजना के क्रियान्वयन पर कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण की डी.पी. आर. अप्रैल, 2010 में तैयार की गई, जिसके अंतर्गत केन नदी पर छतरपुर/पन्ना जिले में दौधन बांध, दो पावर हाउस, दो टनल एवं 218.6 कि.मी. लंबी लिंक नहर का निर्माण शामिल है। दौधन बांध की प्रस्तावित जीवित जल क्षमता 2684 डब्ड है। योजना में कुल डूब क्षेत्र 9000 हेक्टर

है, जिसमें 5258 हेक्टर वन क्षेत्र, 2171 हेक्टर कृषि योग्य भूमि, 1571 हेक्टर तालाबों, नदियों, नालों की भूमि आ रही है। डूब क्षेत्र के 10 ग्रामों के लगभग 1913 परिवार 8339 जनसंख्या विस्थापित हो रहे हैं। वर्ष 2015-16 के मूल्य आधार पर परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केन कछार में प्रस्तावित दौधन बांध एवं नहरों आदि की लागत रु. 18057.08 करोड़ आंकलित की गई है। परियोजना की लागत रु. 18057.08 करोड़ स्वीकार करते हुये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा निवेश हेतु स्वीकृति दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्रदान की गई। केन-बेतवा लिंक परियोजना, प्रथम चरण की सभी तकनीकी एवं वैधानिक स्वीकृतियाँ जैसे केन्द्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति, वन्य जीव (Wild life) स्वीकृति, वन प्रकरण की स्वीकृति (Stage-I), जन जातीय परिवारों के लिये पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। भारत सरकार से प्राप्त वन भूमि की Stage-I स्वीकृति अनुमति में लगभग 6017 हेक्टर राजस्व भूमि देने की बाध्यता है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन प्रकरण में राजस्व भूमि की शिथिलता हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से प्रयास किए जा रहे हैं।

परियोजना के द्वितीय चरण की डी.पी.आर. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2014 में तैयार की गई इसके अंतर्गत म.प्र. द्वारा बेतवा कछार में अंतिम रूप से प्रस्तावित तीन परियोजनायें क्रमशः बीना काम्पलेक्स से 96,000 हेक्टर, कोठा बैराज से 20,000 हेक्टर तथा लोअर ओर परियोजना से 90,000 हेक्टर सिंचाई प्रस्तावित है साथ ही परियोजनाओं से 66.76 डब्ब पेयजल एवं मांग आधार पर उद्योगों हेतु जल का प्रावधान रखा गया है। बीना काम्पलेक्स परियोजना की सभी वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। लोअर ओर परियोजना की सभी वैधानिक स्वीकृतियाँ जैसे पर्यावरणीय, जन जातीय परिवारों के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास स्वीकृति, वन प्रकरण की स्टेज-I एवं स्टेज-II स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पर्यावरण स्वीकृति की मान्यता (Validation), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से वॉछित है। कोठा बैराज की भी सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। म.प्र. द्वारा द्वितीय चरण की परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन एवं माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के मध्य दिनांक 22.03.2021 को एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (MOA) माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमायुक्त उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। तदुपरांत इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 08.12.2021 को राशि रु. 44605 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना को 8 (आठ) वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा म.प्र. राज्य के प्रस्ताव को मान्य करते हुए प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। भू-अर्जन एवं पुनर्वास का कार्य प्रगति पर है।

अध्याय : चार

सिंचाई एवं राजस्व : लक्ष्य एवं उपलब्धियां

4.1 सिंचाई

इस वर्ष 2021-2022 में 27 जनवरी 2022 तक 33.66 लाख हेक्टर क्षेत्र में कुल (खरीफ, रबी एवं अन्य) सिंचाई की गई। रबी सिंचाई के लिए वर्षाकाल पूर्व से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। सिंचाई परियोजनाओं में कमजोर हिस्सों को मैदानी अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित किया गया और इन हिस्सों में किए जाने वाले कार्यों का आंकलन किया गया। जो कार्य ठेके से हो सकते थे उन्हें ठेके से तथा जो ठेके के माध्यम से कम समय में संभव नहीं थे उन्हें विभागीय तौर पर कराया गया। इसमें विभागीय विद्युत यांत्रिकी अमले को भी शामिल किया गया। इस कार्य में उपलब्ध विभागीय मशीनों का उपयोग कर नहरों की सफाई, सिल्ट निकालने, बैडग्रेड बनाने, अधूरी नहरों को पूर्ण करने एवं नहरों से अवरोध हटाने का कार्य किया गया। इस कार्य को अधिक गति देने एवं वर्षा पूर्व पूर्ण करने के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर भारी मशीनें लगाई गईं। जिन तालाबों में स्लूस गेट से लीकेज होता था अथवा अन्य कारणों से लीकेज से जल अपव्यय होता था, उन्हें चिन्हित कर ठीक किया गया। अधिकांश तैयारियां वर्षा आने के पूर्व कर ली गईं।

वर्षा काल में सभी जलाशयों में जल का नियमन इस प्रकार किया गया कि भण्डारण अधिकतम रहे। इसके लिए बड़े/मध्यम जलाशयों में जल स्तर की सतत मॉनिटरिंग 'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम' के उपयोग से की गई। प्रतिदिन वर्षा जल भराव बिना किसी खतरे के अधिकतम हो सके इसके लिए जलद्वारों को समय समय पर खोलकर जल बहाव को नियंत्रित किया गया।

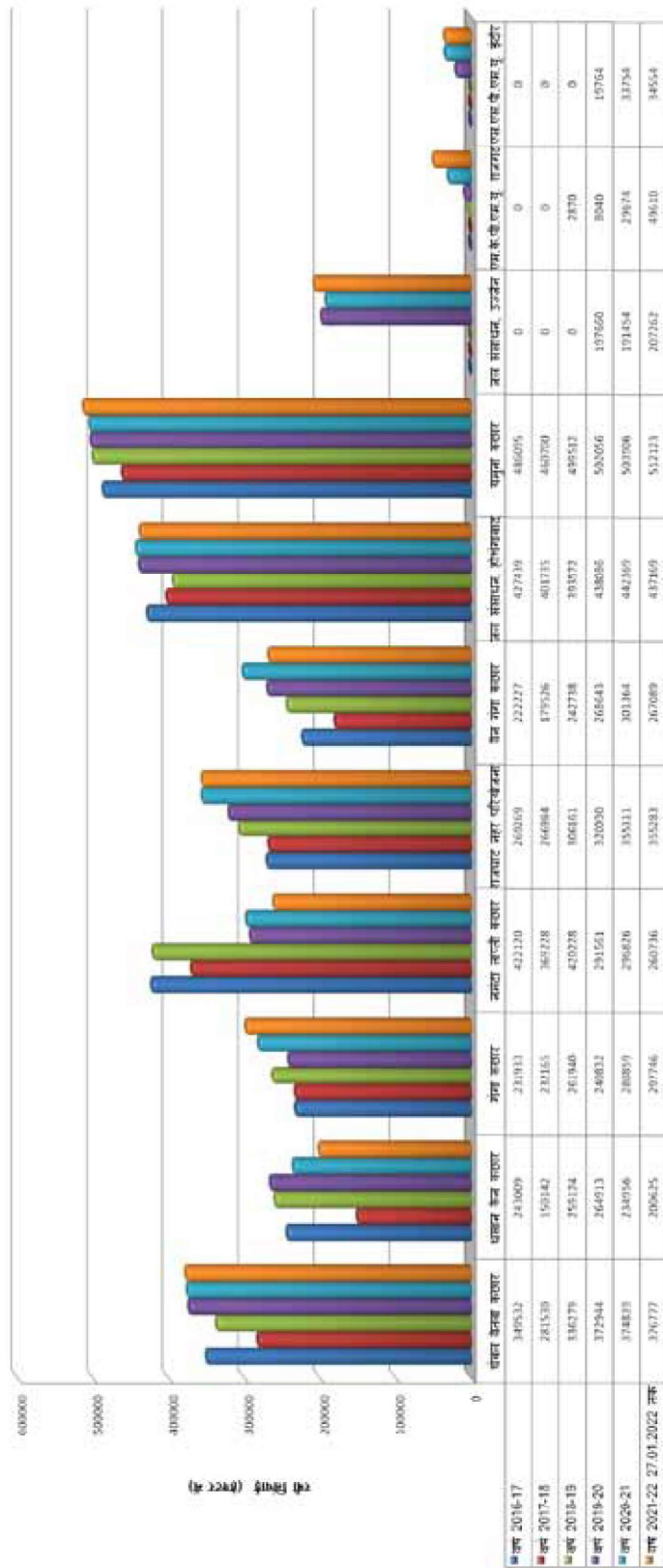
25 सितम्बर की स्थिति में राज्य के सभी जलाशयों में जल भराव की मात्रा को कम्प्यूटर पर ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था कर अमल में लाया गया। उपलब्ध जल के आधार पर हर परियोजना का रबी सिंचाई लक्ष्य मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया। विभाग की वेबसाइट पर 'इरिगेशन मानिटरिंग सिस्टम' में इन लक्ष्यों को दर्ज किया गया तथा की गई सिंचाई के आंकड़ों की इस सिस्टम में पाक्षिक प्रविष्टि की व्यवस्था बनाई गई। वीडियो कान्फ्रेंस तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों से पूरे रबी सत्र में सिंचाई की सतत मॉनिटरिंग की गई है। सिंचाई की मॉनिटरिंग हेतु अंतिम छोर में स्थित कृषकों से उनके मोबाईल पर संपर्क कर मैदानी अधिकारियों द्वारा सतत जायजा लिया गया।

उपरोक्त रणनीति के अनुसार विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों ने टीम भावना से एकजुट होकर कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप 27 जनवरी 2022 तक खरीफ 2.78 लाख

हेक्टर एवं रबी 29.99 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है। यह उपलब्धि सतत अनुश्रवण, कुशल जल प्रबन्धन के कारण ही संभव हो सकी। इसके अतिरिक्त 89 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसल में सिंचाई सविधा भी उपलब्ध कराई है।

वर्षवार / कछारवार रबी सिंचाई					सिंचाई हेक्टर में		
मुख्य अभियंता	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 27/01/2022 तक
रबी सिंचाई							
चम्बल बेतवा कछार	347516	349532	281530	336279	372944	374839	376777
धसान केन कछार	135401	243009	150142	259124	264913	234956	200625
गंगा कछार	213023	231933	232165	261940	240832	280859	297746
नर्मदा ताप्ती कछार	419268	422120	369228	420228	291561	296826	260736
राजघाट नहर परियोजना	268867	269269	266984	306161	320030	355311	355283
वैनगंगा कछार	163012	222227	179526	242738	268643	301364	267089
होशंगाबाद	421207	427439	401735	393572	438086	442369	437169
यमुना कछार	476392	486095	460700	499512	502056	503906	512123
उज्जैन कछार	0	0	0	0	197660	191454	207262
एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़	0	0	0	2870	8040	29674	49610
एस.एस. पी.एम.यू. इंदौर	0	0	0	0	19764	33754	34554
योग	2444686	2651624	2342010	2722424	2924529	3045312	2998974
खरीफ सिंचाई	305596	251122	131041	249828	200475	269492	277880
योग	2750282	2902746	2473051	2972252	3125004	3314804	327685

वर्षवार / कछपरवार रबी सिंचाई



4.2 राजस्व

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। इस हेतु राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण वर्तमान में भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इन बॉधों द्वारा संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक क्षेत्रों हेतु किया जाता है।

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 26 'ए' के अंतर्गत जल पर शासन का अधिकार है। 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जल दरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं की रख-रखाव की पूर्ण राशि जल कर से प्राप्त हो सके एवं यह भी ध्यान रखा जावे कि इस प्रक्रिया से कृषकों पर अत्यधिक वित्तीय भार न पड़े। वर्तमान में कृषि उत्पादन के लिए प्रदाय किये जाने वाले जल की राजस्व दरें, बांध एवं नहरों के निर्माण एवं रखरखाव लागत की तुलना में अत्यन्त ही कम रखी गई हैं। कृषक यदि किसी अन्य स्रोत से जल प्राप्त करते हैं तो उन्हें विभाग के द्वारा निर्धारित राजस्व राशि से कम से कम 8 गुना से अधिक राशि देना होती है। पिछले वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन कृषि के लिए प्रदाय किये जाने वाले पानी की दरों में वर्ष दिसंबर, 2005 से कोई वृद्धि नहीं की गई थी एवं पेयजल दर में भी वर्ष 2000 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह इस बात का द्योतक है कि शासन द्वारा कृषि एवं पेयजल के लिए दिये जा रहे पानी हेतु लिया लाने वाला जल शुल्क न्यूनतम है एवं प्रतीकात्मक ही है। वर्ष 2021-22 में सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल दरें निर्धारित की गई हैं जिनका प्रकाशन म.प्र.राजपत्र दिनांक 29.10.2021 में किया गया है।

4.2.1 कृषि प्रयोजना हेतु जलदर :-

कृषि प्रयोजनों के लिये शासकीय स्त्रों से प्रवाह एवं कृषक द्वारा स्वयं के साधन से उद्वहन के लिये सिंचाई दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं।

क्र.	फसलों का नाम	जल कर रु. (प्रति हेक्टर में)
1	धान-खरीफ (125+85X3)	380
2	हरी घास वाली फसलें- मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर, उड़द (125+50X3)	275
3	कपास (125+70X3)	335
4	धान-रबी (125+115X3)	590
5	गेहूं (125+75X3)	350
6	चना (125+75X1)	200

क्र.	फसलों का नाम	जल कर रु. (प्रति हेक्टर में)
7	धानिया,मूंगफली (रबी), मूंग(रबी), सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन(रबी), तुअर(रबी), (125+75X3)	350
8	जौ, बैंगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुइयां, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां	630.00
9	बरसीम घांस (फोडर क्रॉप)	480.00
10	केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	960.00

4.2.2 पेयजल एवं घरेलू उपयोग हेतु जल दर:

शासन ने अधिसूचना क्रं. 29/31/99/म/31/83 दिनांक 14 जनवरी 2000 जारी कर निगम और नगरो के जल आपूर्ति की दरों को अतिष्ठित करते हुए नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा घरेलू उपयोग के लिए नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की है। उक्त दर 14/01/2000 से प्रभावशील है एवं इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे (दो पैसे) की वृद्धि होगी। शासकीय स्रोतों से प्रदाय पेयजल हेतु जलदर का 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष 1 पैसे की वृद्धि प्रावधानिक है।

4.2.3 औद्योगिक प्रयोजन/ताप एवं विद्युत परियोजनाओं हेतु जलदरें

म.प्र. राजपत्र दिनांक 29.10.2021 में औद्योगिक एवं जल विद्युत परियोजना हेतु निम्नानुसार जलदर निर्धारित की गई है :-

क्र.	जल स्रोत	जल कर रु. (प्रति घनमीटर में)
अ.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल दर	
1	शासकीय स्रोतों से (यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि)	8.00 (01 जनवरी से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि सहित)
2	नैसर्गिक स्रोत यथा नदी, झील या अन्य प्राकृतिक संग्रह स्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशय से –	
	i. स्वयं के व्यय से बांध आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/कराया जाने की दशा में।	3.00 (01 जनवरी से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि सहित)
	ii. नैसर्गिक जल स्रोत से सीधे जल लिये जाने की दशामें	3.00 (01 जनवरी से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि सहित)

ब	ताप एवं विद्युत परियोजनाओं हेतु जलदर	
	i. शासकीय जल भण्डारण परियोजनाओं यथा बांध, नहर, बैराज आदि से जलविद्युत परियोजनाओं की जनरेटिंग इकाईयों को प्रदाय किए जाने वाला जल, जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुर्नप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना।	60 पैसे प्रति विद्युत इकाई(किलोवाट घंटा) दर दिनांक 1.1.22 से इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसे प्रति वर्ष की वृद्धि।
	ii. नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुर्नप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत् परियोजना।	20 पैसे प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट/घंटा उत्पादन दिनांक 1.01.2022 से एवं प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घंटा) 1.0 पैसे प्रति वर्ष की वृद्धि।

4.3 प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	वर्ष	कृषि सिंचाई		पेयजल		उद्योग		म.प्र.रा.वि.मडल		अन्य		कुल योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2015-16	74.33	24.63	36.02	2.73	296.12	187.64	42.61	50.19	50.92	25.64	500.00	290.83
2	2016-17	175.74	24.75	12.56	3.01	225.98	196.64	64.03	158.34	21.69	12.72	500.00	395.45
3	2017-18	225.19	23.53	40.83	4.61	212.40	150.78	103.00	110.77	18.58	27.70	600.00	317.38
4	2018-19	235.14	13.78	42.21	1.81	244.40	377.87	85.00	56.79	43.25	25.55	650.00	475.81
5	2019-20	263.47	33.70	153.09	3.24	778.60	187.46	91.14	89.69	113.70	48.47	1400.00	362.56
6	2020-21	65.54	32.33	23.19	5.61	225.29	208.50	100.00	101.00	3.98	31.96	418.00	389.99
7	2021-22 31 दिसंबर 2021 तक	70.90	24.84	24.85	10.25	224.49	148.85	100.00	58.49	4.76	9.86	425.00	252.29

विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएं

5.1 प्रमुख अभियंता कार्यालय अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचनाएं :

5.1.1 सतर्कता प्रकोष्ठ

जल संसाधन विभाग से संबंधित लोकायुक्त संगठन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, माननीय मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक अन्य जनप्रतिनिधि, शासन तथा सामान्यजनों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण एवं विभागीय जांच का कार्य कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाता है। सतर्कता प्रकोष्ठ के अंतर्गत लोकायुक्त कक्ष, सतर्कता कक्ष, जन शिकायतनिवारण/सामान्य शिकायत/उड़न दस्ताकक्ष के माध्यम से वर्ष 2021-22 में दिनांक 31/10/2021 की स्थिति में प्राप्त एवं व्यवहारित शिकायती प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

5.1.1.1 लोकायुक्त कक्ष :

1. लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रकरण :-

लोकायुक्त कक्ष द्वारा लोकायुक्त कार्यालय एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) दिनांक 30/11/2020 तक लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त 464 शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जानी शेष थी। दिनांक 01/12/20 से 31/10/21 तक लोकायुक्त कार्यालय से 08 शिकायतें प्राप्त हुई, इस अवधि में 01 प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय द्वारा समाप्त किया गया, शेष प्रकरणों के निराकरण हेतु कक्ष द्वारा सतत् कार्यवाही की जा रही है।

2. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त प्रकरण :-

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सीधे मूलतः विभाग को प्रेषित तथा शासन के माध्यम से विभाग को मूलतः प्रेषित प्रकरणों पर कार्यवाही की जाकर जांच प्र. तिवेदन शासन/ब्यूरो को प्रेषित किया जाता है। दिनांक 30/11/2020 तक ब्यूरो से प्राप्त 449 प्रकरणों पर कार्यवाही की जानी थी। दिनांक 01/12/20 से दिनांक 31/10/2021 तक 35 शिकायती प्रकरण और प्राप्त हुये इस अवधि में 02 प्रकरण प्रमुख अभियंता स्तर पर समाप्त किया गया। शेष प्रकरणों के निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

5.1.1.2 सतर्कता कक्ष :

माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, अन्य मंत्रीगण, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव महोदय एवं शासन से प्राप्त शिकायतों की जांच उपरांत निर्देशानुसार जांच प्रतिवेदन शासन तथा उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाते हैं । दिनांक 30/11/2020 तक सतर्कता कक्ष में कुल व्यवहारित प्रकरणों की संख्या 565 थी । दिनांक 01/12/20 से 31/10/2021 तक 0 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये । इस अवधि में 0 प्रकरण जांच पश्चात् नस्तीबद्ध किये गये हैं । शेष प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

5.1.1.3 जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायत:-

शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें तथा सामान्य नागरिक, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों से सीधे अथवा शासन के माध्यम से प्राप्त शिकायतें इस कक्ष द्वारा व्यवहारित की जाती हैं ।

1. जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें :-

दिनांक 30/11/2020 तक जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त 401 शिकायती प्रकरण अंतिम रूप से निराकरण हेतु शेष हैं । दिनांक 01/12/20 से 31/10/2021 तक 05 शिकायती प्रकरण, जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त हुए, दिनांक 01/12/20 से 31/10/21 तक कुल 01 प्रकरणों का निराकरण किया गया । शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है ।

2. सामान्य शिकायतें :-

दिनांक 30/11/2020 तक 1842 सामान्य शिकायतें अंतिम रूप से निराकरण हेतु शेष थी । दिनांक 01/12/2020 से 31/10/2021 तक 117 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए, दिनांक 01/12/20 से 31/10/21 तक 13 प्रकरणों का निराकरण किया गया । शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है ।

3. एकल नस्ती/उड़नदस्ता द्वारा जांच के प्रकरण :-

शासन स्तर पर व्यवहारित मूल नस्तियां/एकल नस्तियां (जिनके तहत भी शासन से एकल नस्ती के माध्यम से शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए हैं) एवं माननीय मंत्रीजी तथा शासन द्वारा विभाग स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन कर शिकायतों की जांच हेतु निर्देशित प्रकरण इस कक्ष द्वारा व्यवहारित किये जाते हैं ।

(अ) एकल नस्ती प्रकरण :-

दिनांक 30/11/2020 तक 447 शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जानी शेष है । दिनांक 01/12/20 से 31/10/21 तक शासन से 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

इस अवधि में 05 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

(ब) उड़न दस्ता द्वारा जांच के प्रकरण :-

दिनांक 30/11/2020 तक 115 प्रकरण उड़न दस्ता दल के माध्यम से जांच के तहत व्यवहारित किये जा रहे थे। दिनांक 01/12/20 से 31/10/21 तक उड़न दस्ता दल से जांच हेतु 07 प्रकरण प्राप्त हुये। दिनांक 01/12/20 से 31/10/21 तक 0 प्रकरण का जांच प्रतिवेदन माननीय मंत्रीजी/शासन को प्रेषित किया गया है। शेष 122 प्रकरणों पर कार्यवाही जारी है।

5.1.2 न्यायालयीन प्रकोष्ठ

प्रकोष्ठ अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी 31 दिसम्बर-2021 की स्थिति में निम्नानुसार है:-

स. क्र.	विवरण	श्रम न्यायालय	औद्योगिक न्यायालय	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय	अवमानना	उपादान	सिविल कोर्ट	आर्बीट्रेशन	कुल योग
1	दै.वे.भो. से संबंधित प्रकरण	124	6	804	31	156	99	0	0	1220
2	कार्यभारित से संबंधित प्रकरण	1	0	296	2	103	3	0	0	405
3	नियमित स्थापना से संबंधित प्रकरण	0	0	555	1	58	3	1	0	618
4	ठेकेदारों से संबंधित	2	0	132	4	2	0	47	169	356
5	भू-अर्जन से संबंधित	0	0	986	1	2	0	1415	0	2404
6	अन्य जन सामान्य से संबंधित प्रकरण	22	0	310	2	14	7	101	0	456
	कुल योग	149	6	3083	41	335	112	1564	169	5459

5.1.3 विधानसभा प्रकोष्ठ

विभाग में वर्ष 2020-21 में 31/12/2020 तक प्राप्त विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन, अधिसूचना, अशासकीय संकल्प, अभ्यावेदन याचिका की स्थिति निम्नानुसार है:-

प्रकरण के प्रकार	दिसंबर-2021 तक
विधान सभा प्रश्न	370
ध्यानाकर्षण सूचना	47

प्रकरण के प्रकार	दिसंबर-2021 तक
अधिसूचना	-
अशासकीय संकल्प	3
स्थगन प्रस्ताव	02
आश्वासन	95
अभ्यावेदन	2
याचिका	115
शून्य काल	8
कट मोशन	-
पढ़ी गई सूचना	5

5.1.4 सूचना का अधिकार

जल संसाधन विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मई 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। “सूचना के अधिकार” के तहत जनसाधारण शासकीय अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। शासन स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी अवर सचिव, लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव एवं अपीलीय अधिकारी सचिव, जल संसाधन हैं। विभागाध्यक्ष स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रमुख अभियंता कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है। प्रमुख अभियंता विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं।

5.2 आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत महत्वपूर्ण संरचना :-

5.2.1 सहभागिता सिंचाई प्रबंधन संचालनालय (पी.आई.एम.)

सिंचाई कार्य में कृषको की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 दिनांक 15 सितम्बर 1999 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है। अधिनियम के अंतर्गत कृषक संगठनों को कार्य करने हेतु स्वतंत्र एवं वैधानिक रूप से अधिकृत किया गया है।

अधिनियम के लागू होने के पूर्व तक नहरों से सिंचाई प्रबंधन शासन द्वारा ही किया जा रहा था। इसमें उपभोक्ता कृषको की भागीदारी नगण्य थी। जिसके फलस्वरूप जहां एक ओर नहरों के रखरखाव में कृषको की प्रतिबद्धता का पूर्णता अभाव था, वही दूसरी ओर नहरों के विशाल तंत्र का एकतरफा संधारण शासन द्वारा भी कठिन हो रहा था। अधिनियम के माध्यम से नहर प्रणाली में आवश्यक सुधार, निर्मित सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग एवं नहर के अंतिम छोर की समस्याओं से निपटने की दृष्टि से सिंचाई प्रबंधन में कृषको की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया।

मूल अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाकर प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। वर्ष 2013, में अधिनियम में संशोधन के द्वारा जल उपभोक्ता संस्थाओं को अभंग निकाय बनाया जाकर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष रखी गयी एवं प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का प्रबंध समिति के अध्यक्षों का निर्वाचन प्राबधान रखा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किये जाने एवं सदस्यों द्वारा उन्ही में से एक अध्यक्ष चुने जाने का प्रावधान था। वर्ष 2013 के संशोधन में जल उपभोक्ता संस्था के पदाधिकारियों को धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवकों की श्रेणी में शामिल किया गया।

वर्ष 2019 में अधिनियम में संशोधन कर जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति का कार्यकाल व निर्वाचन मूल अधिनियम, 1999 की भांति 5 वर्ष व चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2019 के संशोधन में बहाव व उद्वहन सिंचाई प्रवृत्ति के साथ साथ दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली प्रवृत्ति को भी अधिनियम में शामिल किया गया। उक्त संशोधन के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में कार्यरत समस्त जल उपभोक्ता संस्थाओं को मार्च 2020 में विघटित किया जाकर जल उपभोक्ता संस्थाओं को समनुदेशक किये गये कृत्यों के निर्वहन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया, तदनुसार वर्तमान में यथास्थिति बनी हुई हैं।

मार्च 2020 में विघटन के समय जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्यरत जल उपभोक्ता संस्थाओं की कछारवार संख्या व सैच्य क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

(सैच्य क्षेत्र “लाख हेक्टेयर” में)

स. क.	मुख्य अभियंता का नाम	वृहद् ज.उ.सं.		मध्यम ज.उ.सं.		लघु ज.उ.सं.		योग ज.उ. सं.	
		संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)
1	गंगा कछार, सीवा	70	1.44	14	0.21	90	0.75	174	2.40
2	वैनगंगा कछार, सिवनी	108	2.02	57	0.77	232	1.59	397	4.38
3	जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद	176	3.04	15	0.25	48	0.37	239	3.66
4	चंबल बेतवा कछार, भोपाल	16	0.28	42	0.78	162	1.00	220	2.07

स. क.	मुख्य अभियंता का नाम	वृहद् ज.उ.सं.		मध्यम ज.उ.सं.		लघु ज.उ.सं.		योग ज.उ. सं.	
		संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)	संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (लाख हे.)
5	राजघाट परियोजना, दतिया	140	2.51	3	0.03	4	0.02	147	2.57
6	यमुना कछार, ग्वालियर	164	3.97	16	0.30	41	0.27	221	4.54
7	नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर	21	0.29	42	0.62	357	2.00	420	2.91
8	धसान केन कछार, सागर	34	0.52	33	0.49	179	1.20	246	2.21
	योग:-	729	14.07	222	3.46	1113	7.21	2064	24.74

शासन के निर्देशानुसार जल उपभोक्ता संथाओं के क्रियाकलाप व निर्वाचन की अवधि संशोधन 2013 के प्रावधानों अनुसार 2-2 वर्ष रखे जाने के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम में पुनः संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एवं संशोधन विधेयक 2020 मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र दिसम्बर फरवरी मार्च 2021 में विधानसभा के पटल पर रखा जाना संभावित है।

5.3 मुख्य अभियंता बोधी के अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचनाएं :-

5.3.1 बाँध सुरक्षा संगठन-

बाँध सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बाँधों का निरीक्षण कर बाँधों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना एवं तदनुसार बाँधों को सुधारने के लिये तकनीकी सुझाव देना है। बाँधों के सुधारों की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिये एक राज्य स्तरीय बाँध सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश समिति के अध्यक्ष हैं एवं संबंधित कछारीय परियोजना के मुख्य अभियंता, सदस्य हैं। संचालक, बाँध सुरक्षा समिति के सचिव नियुक्त किए गए हैं।

5.3.1.1 बाँध सुरक्षा संगठन के मुख्य कार्य:-

- बाँध सुरक्षा के संबंध में राज्य द्वारा प्रसारित कार्यकारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्यवाही।
- राज्य स्तरीय बाँधों की डाटा बुक तैयार करना तथा तकनीकी दस्तावेज के लिये डाटा बैंक के रूप में कार्य करना।
- वर्षा पूर्व एवं वर्षा उपरांत बाँधों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण करना तथा इनके आधार पर बाँधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करना।

- समस्त बड़े बाँधों का निरीक्षण किया जाकर इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के लिये अनुषंसा करना।
- बड़े बाँधों जिनकी ऊँचाई 15 मी. से अधिक या जल संग्रहण क्षमता 60 मि.घन मी. या अधिक है, का स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जाना।
- निर्माणाधीन समस्त बड़े बाँधों के रूपांकन, पुनर्विलोकन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। समस्त बड़े बाँधों के पूर्णता प्रतिवेदन जिसमें रूपांकन, निर्माण तथा रूपांकन से संबंधित आंकड़ों का समावेश हो, का परीक्षण करना।
- बड़े बाँधों में लगाये गये उपकरणों के आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना।
- बाँधों में बड़ी आपदा की स्थिति में परियोजना अधिकारियों को सहयोग करना, विशेषज्ञों का पैनल गठित करने के लिए कार्यवाही करना तथा उक्त पैनल के सुझावों को समन्वित करना। पैनल द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव एवं सर्वेक्षण कार्य में समन्वय करना तथा पैनल को प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग देना।
- राज्य के समस्त बड़े बाँधों की स्थिति को केन्द्रीय जल आयोग के बाँध सुरक्षा संगठन को प्रस्तुत करने के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- आपातकालीन योजना की तैयारी करना तथा इस संबंध में पथ प्रदर्शन करना।
- बाँध सुरक्षा संचालनालय तथा राज्य के लिये बाँध सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा निगरानी की प्रक्रिया, निरीक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण, रख-रखाव, संचालन तथा आपात कालीन कार्य योजना तैयार करने आदि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5.3.2 सिंचाई अनुसंधान संचालनालय :-

विभाग के अधीन सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन वर्ष 1964 में किया गया। इसके अंतर्गत बड़े बाँधों की मॉडल स्टडी हेतु प्रदेश स्तर की एक जल विज्ञान प्रयोगशाला वर्ष 1964 में एवं एक प्रदेश स्तर की मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1970 में की गई। तदोपरान्त वर्ष 1985 में यू.एस.ए.आई.डी. के अंतर्गत मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला भोपाल का उन्नयन किया गया एवं जबलपुर में अस्थायी मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला प्रारम्भ की गयी, जो कि वर्ष 1988 से स्थायी रूप से संचालित है।

प्रयोगशाला में प्रस्तावित/निर्माणाधीन तथा निर्मित परियोजनाओं की निर्माण संबंधी विभिन्न समस्याओं का अनुसंधान के माध्यम से समुचित निदान किया जाता है। संचालनालय के अधीन परियोजना के निर्माण में उपयोगी मिट्टी एवं धातु परीक्षण हेतु भोपाल एवं जबलपुर में प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। वर्तमान में संचालनालय मुख्य अभियंता, बोधी भोपाल के अधीन कार्यरत है। संचालनालय, सिंचाई अनुसंधान के अधीन म.प्र. में निम्नानुसार प्रयोगशालायें कार्यरत हैं :-

1. जल विज्ञान प्रयोगशाला, हथाईखेड़ा भोपाल वर्ष 1964 से।
2. मिटटी, धातु एवं रसायन परीक्षण प्रयोगशाला हथाईखेड़ा भोपाल वर्ष 1970 से।
3. मिटटी, धातु परीक्षण प्रयोगशाला, पचपेढी जबलपुर वर्ष 1988 से।

(A) जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल :-

- 1) प्रस्तावित बांधों के स्केल मॉडल बनाकर प्रस्तुत डिजाइन की हाइड्रोलिक परफॉरमेंस के आधार पर परीक्षण कर समुचित सुझाव देना।
- 2) प्रस्तावित एनर्जी डिस्पेंशन अरेंजमेंट की क्षमता का परीक्षण करना।
- 3) निर्माणाधीन परियोजना का स्टेज कन्स्ट्रक्शन का अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।
- 4) परियोजना के गेट ऑपरेशन अध्ययन पर समुचित प्रणाली का विकास करना।
- 5) परियोजना में उत्पन्न आकस्मिक समस्याओं का मॉडल अध्ययन कर उचित निदान प्रस्तुत करना।
- 6) बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिये मॉडल अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।

01 जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 की अवधि में निम्न परियोजनाओं के मॉडल अध्ययन की अद्यतन स्थिति का विवरण :-

स. क्रं.	कार्य का नाम	जिला	मॉडल का प्रकार	रिपोर्ट नंबर	माह/वर्ष
1	कोठा बैराज परियोजना	विदिशा	2डी. मॉडल	102199	मई 2021 में रिपोर्ट जारी
2	कोठा बैराज परियोजना	विदिशा	2डी. मॉडल	—	अध्ययन कार्य प्रगति पर
3	सुठालिया परियोजना	राजगढ़	2डी. मॉडल	—	मॉडल कार्य प्रक्रियाधीन
4	सरकुला परियोजना	शिवपुरी	2डी. मॉडल	—	मॉडल कार्य निर्माणाधीन
5	मेढा परियोजना	बैतूल	2डी. मॉडल	—	मॉडल कार्य निर्माणाधीन
6	हनौता परियोजना	सागर	2डी. मॉडल	102200	मई 2021 में रिपोर्ट जारी
7	टेम परियोजना (संशोधित ड्राइंग)	विदिशा	2डी. मॉडल	102196 A	जुलाई 2021 में रिपोर्ट जारी
8	कान्याखेड़ी परियोजना	सीहोर	3डी. मॉडल	—	मॉडल कार्य निर्माणाधीन
9	नवनेरा परियोजना (गेट ऑपरेशन स्टडी)	कोटा (राजस्थान)	3डी. मॉडल	—	प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार
10	रैतम बैराज परियोजना	मंदसौर	3डी. मॉडल	102201	जून 2021 में रिपोर्ट जारी (पूर्व निर्मित परियोजना में हुई क्षति के विश्लेषण हेतु)

11	कनेरी परियोजना	रतलाम	2डी. मॉडल	102202	अगस्त 2021 में रिपोर्ट जारी
12	कैथ परियोजना	सागर	2डी. मॉडल	—	मॉडल स्टडी प्रस्तावित
13	गढ़ा परियोजना	बैतूल	2डी. मॉडल	—	मॉडल स्टडी प्रस्तावित

विशेष : — राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना नवनेरा बैराज के 3 डी मॉडल की गेट ऑपरेशन स्टडी का अध्ययन कार्य पूर्ण कर प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार है। 2 डी मॉडल एवं 3 डी मॉडल की रिपोर्ट पूर्व में जारी की जा चुकी है इस परियोजना के अध्ययन से जल विज्ञान प्रयोगशाला के उन्नयन के साथ म.प्र. शासन को लगभग 9 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

(B) मिट्टी, धातु परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल एवं जबलपुर :-

- 1) परियोजना में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न परीक्षण कर उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करना ।
- 2) परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट आदि का परीक्षण कर गुणों के आधार पर उपयोगिता सुनिश्चित करना कि वे निर्माण में किस सीमा तक उपयोग की जा सकती है अथवा नहीं ।
- 3) मिट्टी के अधिकतम घनत्व हेतु कॉम्पैक्ट करने के लिये जल की मात्रा का आंकलन करना ।
- 4) सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी की मात्रा का मिक्स डिजाइन द्वारा विभिन्न ग्रेड की कांक्रीट हेतु निर्धारण करना ।
- 5) पक्के बांधों से होने वाले जल रिसाव के रासायनिक परीक्षण करने का कार्य ।

वर्ष 2021–22 (जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021) तक संपादित परीक्षणों का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	मिट्टी परीक्षण (कुल नमूने)	रेत परीक्षण (कुल नमूने)	धातु परीक्षण (कुल नमूने)	सीमेंट परीक्षण (कुल नमूने)	मिक्स डिजाइन (कुल नमूने)	क्यूब टेस्टिंग (कुल नमूने)	कुल नमूने (कुल नमूने)
1	मिट्टी/धातु परीक्षण संभाग, भोपाल	613	51	191	60	69	1140	2124
2	मिट्टी/धातु परीक्षण संभाग, जबलपुर	89	03	06	-	-	02	100

5.3.2.1 हथार्इखेड़ा प्रयोगशाला भोपाल का आधुनिकीकरण :-

(1) हथार्इखेड़ा प्रयोगशाला में मिट्टी एवं धातु परीक्षण तथा रसायन प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण कर एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) हथार्इखेड़ा जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

5.3.3 भू-जल सर्वेक्षण ईकाई:-

भू-जलसर्वेक्षण संरचना द्वारा सन् 1970 से भूजल के सर्वेक्षण एवं अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। इस संरचना में मुख्य अभियंता बोधी के अधीन अधीक्षण यंत्री, भूजल सर्वेक्षण मण्डल, भोपाल एवं अधीक्षण यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मण्डल, जबलपुर कार्यरत हैं। भोपाल मण्डल के अधीन चार संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय क्रमशः उज्जैन, सागर, ग्वालियर और खण्डवा तथा 23 जिला भूजल सर्वेक्षण ईकाईयों तथा चार रासायनिक प्रयोगशालाएँ सागर, ग्वालियर,, उज्जैन एवं भोपाल में कार्यरत हैं। अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल, जबलपुर के अधीन तीन संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय क्रमशः जबलपुर, बालाघाट, एवं रीवा तथा 11 जिला ईकाईयों के साथ तीन रासायनिक प्रयोगशालाओं क्रमशः जबलपुर, बालाघाट एवं सतना के द्वारा भूजल सर्वेक्षण अध्ययन, भूजल विकास एवं भूजल विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है।

5.3.3.1 भू-जल सर्वेक्षण संरचना के नियमित कार्य:-

भूजल सर्वेक्षण संरचना के अंतर्गत कुल 5071 स्थायी अवलोकन कूप एवं 540 पीजो मीटर हैं। इस संरचना द्वारा भूजल स्तर मापन एवं अध्ययन का कार्य वर्ष में चार बार 1 जनवरी से 10 जनवरी (रबी मौसम के दौरान) 20मई से 30 मई (वर्षा पूर्व) 20 अगस्त से 30 अगस्त (वर्षा ऋतु) एवं 1 नवंबर से 10 नवम्बर (वर्षा पश्चात) किया जाता है।

1. पीजोमीटर में भूजल स्तर का मापन कार्य प्रतिमाह किया जाता है।
2. भूजल नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण कार्य वर्ष में दो बार 20-30 मई (वर्षा पूर्व) तथा 01 नवंबर से 10 नवंबर (वर्षा पश्चात) किया जाता है।
3. प्रदेश का विकासखंडवार भूजल आंकलन प्रतिवेदन प्रति दो वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है।
4. कूप एवं नलकूप खनन हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन हेतु भू-भौतिकी सर्वेक्षण कार्य किया जाता है।
5. बाधों के निर्माण स्थल पर फाउण्डेशन के स्ट्राटा एवं पूर्व निर्मित बांधों में रिसाव के कारण ज्ञात हेतु मल्टीचैनल सर्वे कार्य किया जाता है।

6. वर्षा कम होने/सूखें की स्थिति में स्थायी अवलोकन कूपों एवं पीजोमीटर के भूजल स्तर के आधार पर ग्राउण्ड वाटर डाटा इन्डेक्स (GWDI) तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाता है।

5.4 मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण संरचना :-

5.4.1 केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई

जल ससाधन विभाग के अंतर्गत मुख्य अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी का पद विशेष कार्यों को संपादित करने हेतु सृजित किया गया है। विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अंतर्गत केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई द्वारा वर्ष 2021-2022 में प्रदेश के निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं के डेम, केनाल, बैराज एवं स्टाप डेम हेतु छोटे बड़े आकार के कुल 557 जलद्वारों का निर्माण कार्य एवं स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता एवं निश्चित समयावधि में एवं आर्थिक मितव्ययिता के साथ पूर्ण किया गया। जलद्वारों के निर्माण कार्य में कुल 79.32 मैट्रिक टन स्टील द्वारा गेट फैब्रीकेशन का कार्य हुआ जिसकी लागत रु. 98.00 लाख रही।

विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अधीन कार्यरत 4 भारी मशीनरी संभागों द्वारा प्रतिवेदित सत्र में प्रदेश की विभिन्न नागरिक परियोजनाओं पर चल रहे अर्थवर्क की मिट्टी दाब का लगभग 40.20 लाख घन मीटर का कार्य सफलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता एवं आर्थिक मितव्ययिता के साथ समयावधि में पूर्ण किया गया।

इसके अतिरिक्त विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के अधीन कार्यरत 8 लाईट मशीनरी एवं विद्युत एवं यांत्रिकी संभागों द्वारा प्रदेश में निर्मित वृहद परियोजनाओं के जलद्वारों एवं विद्युत संरचनाओं का संधारण व सफल संचालन किया गया। निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं के जलद्वारों/माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के पंप/मोटरों की फेक्ट्री/फील्ड टेस्टिंग व कार्यस्थल पर स्थापना का कार्य एजेंसी के साथ समन्वय के साथ कराया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के डूब क्षेत्र से प्रभावित विभिन्न क्षमता की उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत लाईनों के प्रतिस्थापन का कार्य सम्पादित कर म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी को हस्तांतरित किया गया।

सिंध परियोजना, शिवपुरी



निर्माणधीन पार्वती परियोजना, नरसिंहगढ़



जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि

मध्यप्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। इस उद्देश्य से म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा 4 (क) (एक) के द्वारा किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में ऐसे भू-धारकों की पत्नियाँ जो कि भू-धारक नहीं हैं, को भी भू-धारक मान्य किया गया है। इस प्रकार से महिलाओं को कृषक संगठन के निर्वाचन में मताधिकार एवं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदाय किया जाकर सशक्त किया गया है।

म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 32/1/99/मध्यम /31 /1244 दिनांक 13.5.2000 के अनुसार यदि किसी कृषक संगठन में कोई महिला सदस्य निर्वाचित नहीं होती तो कृषक संगठन की प्रबंध समिति उसी संगठन क्षेत्र की किसी महिला को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी, ताकि सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 11 के अधीन कृषक संगठन के संचालन के लिए गठित की जाने वाली 6 उपसमितियों में से एक उपसमिति “महिलाओं की भागीदारी उपसमिति” गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें सभी 6 सदस्य महिलायें होंगी एवं इस समिति की अध्यक्षता भी महिला सदस्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार से प्रदेश में विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं उन्हें सशक्त बनाए जाने के लिए कृषि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये भी प्रावधान है।

सिंध परियोजना, शिवपुरी



पम्प हाउस, पारसडोह डेम



विभाग की प्रतिबद्धताएं एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1 विभाग की प्रतिबद्धता :

सिंचाई संसाधनों में वृद्धि करना विभाग का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसको पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा सभी दिशाओं में समुचित प्रयास कर सफलता प्राप्त की जा रही है। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से दिसंबर 2021 तक लगभग 35.83 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है। आगामी 5 वर्षों में समस्त विभागों के माध्यम से 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, इसमें जल संसाधन विभाग का लक्ष्य 46 लाख हेक्टर है।

राज्य के सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य किये जाने के लिये पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था की गई है।

सभी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई जल पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के जल का उच्चतम दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में समस्त वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की नहरों की लाईनिंग कराने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हो सके।

सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लेने के उद्देश्य से माईक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग की 22 वृहद एवं 33 मध्यम सूक्ष्म परियोजनाओं से लगभग 17.86 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान किये गये हैं।

विभाग के द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ-साथ नाबार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि से भरसक प्रयास कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकतम धनराशि प्राप्त की जा रही है।

7.2 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:-

- विभाग को वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों के लिये उपलब्ध आवंटन रु. 7595.54 करोड़ के विरुद्ध दिसंबर 2021 तक रु. 5072.70 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन, माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. शासन एवं माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के मध्य दिनांक 22.03.2021 को एक त्रिपक्षीय

सहमति ज्ञापन (एम.ओ.ए.) भारत के माननीय प्रधानमंत्रीजी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है।

1. भारत सरकार द्वारा परियोजना की लागत राशि रु. 44605.00 करोड़ हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08.12.2021 को प्रदाय की गई है।
 2. मध्यप्रदेश राज्य हेतु 8.11 लाख वार्षिक सिंचाई, 41 लाख आबादी हेतु पेयजल एवं 78 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जावेगा।
 3. प्रथम चरण में भू-अर्जन एवं पुर्नवास का कार्य प्रगतिरत है।
 4. द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश राज्य की लोवरओर, कोटा बैराज एवं बीना काम्प्लेक्स परियोजनाओं का कार्य प्रगतिरत है।
- प्रदेश के ग्वालियर चम्बल अंचल में अतिवृष्टी के कारण जल संसाधन विभाग की बाँध एवम नहर प्रणालियों में अत्यधिक क्षति हुई थी जिससे लगभग 08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई प्रभावित हो सकती थी। विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त प्रणाली की त्वरित मरम्मत कर कृषकों को समय पर रबी फसल हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाकर उल्लेखनीय कार्य किया।
 - शासन के प्रयासों एवं विभाग के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में निर्मित सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा दिसंबर 2021 तक सकल सैच्य क्षेत्र 35.83 लाख हेक्टर विकसित किया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में रबी फसल हेतु 31.70 लाख हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध 27 जनवरी 2022 तक 29.99 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है एवं खरीफ फसल हेतु 2.78 लाख हेक्टर में सिंचाई की गई। इसके अतिरिक्त लगभग 89 हजार हेक्टर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसल में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

माही परियोजना, जिला – धार



पेंच परियोजना, जिला छिंदवाड़ा





मोहनपुरा बांध, जिला – राजगढ़

